रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एम० एम० 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 37] शिमला, शनिवार, 4 मार्च, 1989/13 फाल्गुन, 1910 [संख्या 9

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	166—170
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि . .	—
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि . .	170—203
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग . .	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	203—208
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

4 मार्च, 1989/ 13 फाल्गुन, 1910 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुई :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
—	Himachal Pradesh State Lotteris	Results of 43rd draw of "Simla Instant Weekly" held on 20-2-1989, 30th draw of "Himachal Weekly" held on 23-2-1989 and 43rd draw of "Golden Weekly" held on 24-2-1989.
No. 10-21/79-Policy, dated the 18th February, 1989	Office of the District Food and Supplies Controller, Shimla	Fixing of *ad-seriatum* routes for the supply of kerosene oil to the retail dealers.
No. PCN-MND-A-(61)/85, dated the 22nd February, 1988.	Deputy Commissioner, Mandi	Declaration about the vacant seats of Gram Panchayats of Mandi district.
संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि0) दिनांक 18 नवम्बर, 1988.	पर्यटन विभाग	हवाई पत्तन (एयर पोर्ट) गग्गल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने हेतु अधिसूचना ।
संख्या पी0 सी0 एन0 मण्डी-ए (8) 16/83-4899, दिनांक 21 नवम्बर, 1988.	कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी	प्रधान, ग्राम पंचायत थिश्ती, विकास खण्ड गोहर को कारण बताओ नोटिस ।
—	Himachal Pradesh State Lotteries	Result of 44th draw of "Simla Instant Weekly" held on 27-2-1989.

402-राजपत्र/89-4-3-89—1,333.

मूल्य: 1 रुपया ।

भाग 1--वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जनवरी, 1989

संख्या आवास 6-एफ(7)-1/81.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 (सी0 सी0) के अर्यान्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः ग्राम अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना में आवास बस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इस क्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (एस0 डी0 एम0 नागरिक), अम्ब, जिला ऊना के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

[*Authorised English text of H. P. Government notification No. HSG 6-F(7)-1/81, dated* 18-1-89 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th January, 1989

No. HSG. 6-F(7)-1/81.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land as specified below is likely to be taken by the Himachal Pradesh Housing Board which is a Corporation owned and controlled by the State Government in terms of clause (cc) of section 3 of the Land Acquisition Act, 1894 at its own expense for a public purpose, namely for the establishment of Housing Colony in Village Amb, Tehsil Amb, District Una, it is hereby notified that land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality may, within thirty days of the publication of this notification, file an objection(s) in writing before the Land Acquisition Collector (S. D. M.), Amb, District Una, Himachal Pradesh.

विवरणी

SPECIFICATION

जिला : ऊना तहसील : अम्ब
District : UNA *Tehsil* : AMB

गांव Village	खसरा संख्या Khasra No.	क्षेत्र Area क0 K.	म0 M.
1	2	3	4
अम्ब Amb	2964	6	7
	2971	16	9
	2972	96	7
	4731/2974	5	18
कित्ता Kitta ..	4	125	1

By order.
Sd/-
Secretary.

बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनायें

शिमला-2, 9 जनवरी, 1989

संख्या विद्युत-छ(5)-59/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 क खण्ड (सी0 सी0) के अर्यान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः उप-ग्राम शांगो, मौजा भावा, तहसील निचार, जिला किन्नौर में रोप-वे-भावा वृद्धि परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, क्विसल बैंक, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : किन्नौर तहसील : निचार

मौजा/ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5
शांगो	317/1	0	00	64
कित्ता ...	1	0	00	64

शिमला-2, 9 जनवरी, 1989

संख्या विद्युत-छ(5)-58/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः ग्राम ओगली, डाकखाना काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में 132/11/33 के0 वी0 सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विवरणी

जिला : सिरमौर तहसील : नाहन

ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्र बी0	वि0
1	2	3	4
ओगली	340/17	1	12
	335/17	0	9
	342/17	0	6
	341/17	0	16
	337/17	1	11
	338/17	1	12
	339/17	1	12
	343/17	1	12
कित्ता ..	8	9	10

शिमला-2, 9 जनवरी, 1989

संख्या विद्युत-छ(5)-69/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मौजा रामपुर माजरी, तहसील पांवटा गिरीनगर, जिला सिरमौर में ट्यूबवल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, राज्य विद्युत बोर्ड, थिसल बैंक, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : सिरमौर तहसील : पांवटा

ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्र बी0	वि0
1	2	3	4
रामपुर माजरी	60/1	0	5

शिमला-2, 3 फरवरी, 1989

संख्या विद्युत-छ(5)41/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन0 एच0 पी0 सी0), जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मौजा बंरगाल, नं0 ह0 38 तहसील सलूणी, जिला चम्बा में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-I के जलाशय क्षेत्र के विलयन हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, हिल फूट्स, डाकघर सुलतानपुर, जिला चम्बा को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, हिल फूट्स, डाकघर सुलतानपुर, जिला चम्बा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : चम्बा तहसील : सलूणी

मौजा/ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0
1	2	3	4
बंरगाल	81	0	6
ह0 नं0 38.	82	0	2
	84	0	2
	85	0	2
	87	2	0
	88	0	1
	89	0	2
	90	0	11
	92	0	16
	93	0	2
	94	0	1
	95	0	9
	97/98	0	2
	107	0	2

1	2	3	4
	108	0	1
	109	0	4
	110	0	1
	843	0	1
	844	0	1
	845	0	1
	846	0	3
	847/1	0	1
	847/2	0	2
	848/1	0	1
	848/2	0	1
	848/3	0	1
	848/4	0	3
	864	7	9
	895	0	3
	896	0	4
	897	1	3
	898	0	8
	899	0	13
	900	0	10
	901/1	0	19
	902	3	18
	903	7	19
	904	15	18
	905	0	1
	906	0	3
	907/1	0	3
	907/2	0	1
	907/3	0	1
	908	0	18
	909	2	19
	910	1	4
	911	0	7
	912	0	1
	913	13	4
	914	0	7
	915	0	11
	916	0	3
	917	0	14
	918	1	8
	919	0	5
	921	0	6
	922	1	1
	923	0	17
	924	0	6
	925	0	6
	926	0	3
	927	0	9
	928	0	3
	929	0	8
	930	2	5
	931	0	7
	932	1	17
	1124/934/1	33	15
	935	0	1
	936	0	1
	937	7	11
	938	0	1
	939	3	8
	940	0	9
	941	0	3
	942	0	1
	943	0	3
	944	3	13
किस्सा ..	78	125	7

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 5 अक्तूबर, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1)15/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव जंगल महदूदा भड़ोग शील, तहसील व जिला शिमला में बल्देयां-क्यार कोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इसमें सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Lok Nirman (Kha)7 (1) 15/88, dated 5-10-88 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 5th October, 1988

No. Lok Nirman (Kha) 7 (1) 15/88.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be required to be taken by the Himachal Pradesh Government at public expenses for a public purpose, namely for the construction of Buldian-Kiar Koti road in Village Jungle Mehdooda Bharog Sheel, Tehsil and District Shimla, it is hereby notified that land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

2. This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

3. In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

4. Any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality may, within thirty days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition, H.P. P. W. D., Winter Field, Shimla-3.

विवरणी

SPECIFICATION

जिला: शिमला *District*: SHIMLA

तहसील: शिमला *Tehsil*: SHIMLA

गांव Village	खसरा नं0 Khasra No.	क्षेत्र बी0 बि0 Area in Big. Bis.	
1	2	3	4
जंगल महदूदा भड़ोग शील। JUNGLE MEHDOODA BHAROG SHEEL	1/1	18	9
किस्सा Kitta ..	1	18	9

शिमला-2, 21 अक्तूबर, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 29/87.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: गांव गियाना, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में बंहमपुखर-जुखाला-घागस सड़क पर किरड खड्ड पुल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला-3 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Lok Nirman (Kha) 7 (1) 29/87, dated 21-10-88 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

Shimla-171002, the 21st October, 1988

No. Lok Nirman (Kha) 7(1) 29/87.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is required to be taken by the Government of Himachal Pradesh at its own expenses for a public purpose, namely for the construction of Kirad Khad Bridge on Brahampukhar-Jukhala-Ghagas road in Village Giana, Tehsil Sadar, District Bilaspur. it is hereby declared that land described in the specificaton below is required for the above purpose.

2. This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Collector, Land Acquisition, H. P, P. W. D., Winter Field, Shimla-3 is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

3. A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition, H.P.P.W.D., Winter Field, Shimla-3.

विवरणी

SPECIFICATION

जिला: बिलासपुर तहसील : सदर
District: BILASPUR *Tehsil* : SADAR

गांव Village	खसरा नं0 Khasra No.	क्षेत्र बीघा Area Big.	क्षेत्र विस्वा Area Bis.
1	2	3	4
गियाना GIYANA	72/1	0	17
	95/75/1	0	1
	96/75/1	0	2
	76/1	0	5
	किता Kitta .. 4	1	5

शिमला-171002, 5 दिसम्बर, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1) 69/87.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: गांव पालथी और बागठेहरू, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में भगेड़-औहर सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला-171003 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Lok Nirman (Kha) 7(1) 69/87, dated 5-12-88 as required under clause (3) of Artfcle 348 of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 5th December, 1988

No.Lok. Nirman.(kha) 7 (1) 69/87.—Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the land is required to be taken by the Government of Himachal Pradesh at its own expense for a public purpose, namely for the construction of Bhager-Auhar road in Village Palthi and Bagthehru, Tehsil Ghumarwin. Distt. Bilaspur, it is hereby declared that land described in the specification below is required for the above purpose.

2. The declaration is made under the provisions of section 6 of the land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Collector, Land Acquisition, Himachal Pradesh P.W.D, Shimla-3 is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

3. A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition, H. P. P.W.D., Winter Field, Shimla-3.

विवरणी

SPECIFICATION

जिला : बिलासपुर तहसील : घुमारवीं
District : BILASPUR *Tehsil* : GHUMARWIN

गांव Village	खसरा संख्या Khasra No.	क्षेत्र बी0 Area in Big.	क्षेत्र वि0 Area in Bis.
1	2	3	4
पालथी PALTHI	170/1	0	13
	171/1	0	1
	251/1	0	13
	239/1	0	2
	250	0	5
	244/1	1	0
	338/245 1	0	10
	252/1	0	2
	154/1	0	1
	155/1	0	0
	174/1	0	4
	174/3	0	1
	178/1	0	8
	176/1	0	18
	175/1	0	1
	13/1	0	6
	17/1	0	11

1	2	3	4
	21/1	0	1
	21/2	0	0
	8/1	0	1
	151/1/1	0	7
	151/3/1	0	2
	23/1	0	1
	152/1	0	9
	35/1	0	10
	337/245/1	0	16
	173/1	0	2
	177/1	0	4
	20/1	1	10
	36/1	0	10
	7/1	1	3
	172/1	0	6
	172/3	0	2
किना Kitta ..	33	12	0

1	2	3	4
बागठेहडू BAGTHEDU	162/154/131/1	0	4
	162/154/131/2	1	6
	173/151/1	2	18
	173/161/2	0	13
	145/126/1	0	13
	145/126/2	0	1
किना Kitta ..	6	5	15

By order,
Sd/-
Secretary.

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और ज़िला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

शून्य

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल / हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 नवम्बर, 1989

संख्या होम-बी(डी) 1-1/80.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश रिस्ट्रिक्शन आफ हैबिचुअल औफेन्डर्स ऐक्ट, 1973 (1973 का 40) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश "आभ्यासिक अपराधी प्रतिबन्ध नियम, 1988" है ।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,—

(1) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश रिस्ट्रिक्शन औफ हैबिचुअल औफेन्डर्स ऐक्ट, 1973, अभिप्रेत है,
(2) "न्यायालय" के अन्तर्गत न्यायिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय आता है,
(3) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में क्रमशः उनके हैं ।

3. प्रतिबन्धित क्षेत्र.—वे क्षेत्र जिनमें, अधिनियम के अधीन आदेश द्वारा व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा, प्रायः निम्नलिखित होंगे:—

(क) यदि कोई व्यक्ति ग्राम में निवास करता हो, तो ग्राम का वह क्षेत्र जो न्यायालय के स्वविवेकानुसार जोड़ा जाए, किसी समीपस्थ ग्राम का क्षेत्र जिनमें उक्त व्यक्ति किसी जंगम सम्पत्ति पर स्वामित्व या कब्जा रखता हो, या कोई व्यापार या कारबार करता हो; और
(ख) यदि कोई व्यक्ति नगर में निवास करता हो, तो नगर का क्षेत्र किन्तु विशेष परिस्थितियों में न्यायालय ज्यादा क्षेत्र नियत कर सकेगा ।

अपवाद.—(i) अधिनियम के अधीन प्रतिबन्धित व्यक्ति, जब तक भूमि का स्वामी या अधिभोग अभिधारी न हो और न्यायालय की यदि यह राय हो कि उक्त क्षेत्र में प्रतिबन्ध लगाना समीचीन नहीं है, तो वह यथास्थिति जिले में किसी अन्य ग्राम या नगर का चयन कर सकेगा, जिसमें व्यक्ति प्रायः निवास करता है।

(ii) यदि अधिनियम के अधीन प्रतिबन्धित व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अध्याय XVII के अधीन अपराधों के लिए दो बार सिद्ध दोष ठहराया जा चुका हो और क्षेत्र में भूमि का स्वामी या अधिभोग अभिधारी न हो, तो प्रतिबन्धित क्षेत्र, पुलिस स्टेशन की अधिकारिता जिसमें वह निवास कर रहा हो/होगा ।

4. अनुज्ञेय पास के बिना अनुपस्थिति.—(1) अधिनियम के अधीन प्रतिबन्धित कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अनुसार पास प्राप्त किए बिना, सिवाय ऐसे पास के निबन्धनों के अनुसार, प्रतिबन्धित क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा (या वहां से अनुपस्थित नहीं रहेगा)

(2) उप-नियम (1) की कोई भी बात किसी प्रतिबन्धित व्यक्ति को जब कभी आवश्यक हो, स्वयं या उसके परिवार के विरुद्ध किसी अपराध के लिए पुलिस थाना या समीपस्थ मैजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के लिए उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ या प्रतिबन्ध के आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण याचिका देने के लिए या इन नियमों के अधीन पास प्राप्त करने के लिए समीपस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए, प्रतिबन्धित क्षेत्र को परिसीमाओं को छोड़ने के वास्ते अविधिमान्य नहीं करेगी बशर्ते कि वह अपने इस प्रस्थान के आशय की सूचना अपने ग्राम की ग्राम पंचायत के प्रधान को या यदि वह नगर में निवास करता हो तो सम्बन्धित प्रभारी पुलिस थाना को दे देता है ।

5. सूचना का समय.—सूचना का समय, जिसके भीतर अधिनियम के अधीन प्रतिबन्धित व्यक्ति द्वारा प्रतिबन्धित आदेश के अनुसार स्वयं सूचना देना अपेक्षित है, वह 24 घण्टे से कम और 7 दिन से अधिक नहीं होगा जैसा कि न्यायालय नियत करे किन्तु ऐसा समय बार-बार नियत नहीं किया जायेगा, सिवाय इसके कि प्रत्येक मामले में न्यायालय अति आवश्यक समझे । सूचना ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के प्रधान को और नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित प्रभारी पुलिस थाना को दी जायगी ।

6. सूचना देने की रीति.—अधिनियम के अधीन प्रतिबन्ध के आदेश के अनुसार स्वयं सूचना देने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सूचना व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर देगा जब तक कि वह ऐसा करने में शारीरिक रूप से असमर्थ न हो ।

7. एक दिन की अनुपस्थिति के लिए अनुज्ञा.—अधिनियम के अधीन प्रतिबन्धित आदेश द्वारा किसी क्षेत्र में प्रतिबन्धित व्यक्ति को उक्त क्षेत्र को एक दिन के लिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच छोड़ने हेतु प्राधिकृत करने के लिए, इन नियमों से संलग्न प्ररूप "क" में पास प्रदान किया जाए,—

(क) यदि उसे किसी ग्राम या समीपस्थ ग्रामों में या अधिक क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया गया हो तो ऐसे अधिकारी द्वारा जो न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
(ख) यदि उसे नगर में प्रतिबन्धित किया गया हो, तो सम्बन्धित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

15 दिन से अधिक अनुज्ञा का न दिया जाना.—पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक पुलिस से नीचे की पंक्ति का न हो, जिसकी सीमाओं के भीतर अधिनियम के अधीन प्रतिबन्ध के आदेश द्वारा कोई व्यक्ति प्रतिबन्धित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति को कारण बताए जाने पर, अनुपस्थिति की अनुज्ञा ऐसी अवधि के लिए दे सकेगा जो पन्द्रह दिन से अधिक न हो और पास जारी कर सकेगा ।

9. 15 दिन से अधिक अवधि की अनुज्ञा.—ऐसे क्षेत्र का न्यायिक मैजिस्ट्रेट, जिसमें अधिनियम के अधीन प्रतिबन्ध के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिबन्धित किया गया हो न्यायिक मैजिस्ट्रेट को, या इस निमित्त लिखित रूप में न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, ऐसे कारण बताए जाने पर जिन्हें मैजिस्ट्रेट युक्ति-युक्त समझे, अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को 15 दिन से अधिक अवधि के लिए पास जारी कर सकेगा।

10. नियम 8 या नियम 9 के अधीन प्राप्त न की जाने वाली अनुज्ञा की शर्तें.—जिस व्यक्ति को नियम 8 व नियम 9 के अधीन अनुपस्थिति अनुज्ञा प्रदान की गई हो, वह पास में विनिर्दिष्ट मार्ग द्वारा, अपने गन्तव्य स्थान को जायेगा और उसी मार्ग से अपने निवास स्थान को वापिस लौटेगा और गन्तव्य स्थान को, ग्राम पंचायत के प्रधान से अपने आगमन के समय तथा तारीख को पृष्ठांकित करवायेगा तथा अपने आगमन के तीन दिन के भीतर उस पुलिस थाने को, जिसकी सीमाओं में गन्तव्य स्थान स्थित हो अपनी उपस्थिति की सूचना देगा और पास पर और पृष्ठांकन करने के लिए उसे प्रस्तुत करेगा।

11. अवकाश के दौरान सूचना दी जाना.—यदि, अधिनियम के अधीन प्रतिबन्धित के आदेश द्वारा, किसी क्षेत्र में प्रतिबन्धित कोई व्यक्ति अवकाश पर हो, तो वह उस ग्राम की पंचायत के प्रधान को, जिसमें वह हो, तीन दिन में एक बार अपनी उपस्थिति की सूचना देगा तथा शहरी क्षेत्र होने की दशा में, वह पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचना देगा, ऐसी दशा में जहां वह अपनी सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान को देता है, पन्द्रह दिन में एक बार, जब तक कि उसे न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा छूट प्राप्त न हो, सम्बन्धित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देगा और अपने पास को पृष्ठांकित करने के लिए उक्त पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

12. पास समर्पित किए जाना.—प्रतिबन्धित व्यक्ति अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर पास को उस प्राधिकारी के पास समर्पित करेगा, जिससे उसने यह पास प्राप्त किया हो । इस प्रकार, वापिस किए गए सभी पास उस पुलिस थाने को अभिलेख के लिए भेजे जायेंगे जिसकी सीमाओं में उस व्यक्ति को प्रतिबन्धित किया गया हो।

13. नियम 8 और 9 के अधीन पासों का प्ररूप.—नियम 8 तथा 9 के अधीन जारी किए जाने वाले पास इन नियमों से संलग्न प्ररूप "ख" में होंगे । इन पासों की तीन प्रतियां तैयार की जायेंगी और इनकी प्रत्येक प्रति पास प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मोहरबन्द की जायेगी, एक प्रति पास प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा रखी जायेगी, दूसरी प्रति उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसे अवकाश प्रदान किया गया हो, तीसरी प्रति उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को भेजी जायेगी जिसकी सीमाओं में पास धारक का गन्तव्य स्थान स्थित हो ।

14. अवकाश पर व्यक्ति जो अपने निवास स्थान पर वापिस आने में असमर्थ है.—यदि कोई व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन पास प्रदान किया गया है, किसी पर्याप्त कारण से, अवकाश की अवधि के दौरान अपने निवास स्थान पर आने में असमर्थ है, तो वह इसकी सूचना समीपस्थ पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को तुरन्त देगा और पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी उसकी अनुपस्थिति के कारणों को सत्यापित करेगा और ऐसी सूचना पास जारी करने वाले अधिकारी को भेजेगा ।

15. पासों का प्रत्याहरण.—इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए पास को पास प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा या न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भी समय प्रत्याहृत किया जा सकेगा।

"अनुदेश"

1. 15 दिन से अधिक अनुज्ञा न दी जाना.—उस पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक पुलिस से नीचे की पंक्ति का न हो, जिसकी सीमाओं के भीतर अधिनियम के अधीन प्रतिबन्ध के आदेश द्वारा, कोई व्यक्ति प्रतिबन्धित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति को कारण बताए जाने पर, अनुपस्थिति की अनुज्ञा ऐसी अवधि के लिए दे सकेगा जो पन्द्रह दिन से अधिक न हो, और पास जारी कर सकेगा ।

2. 15 दिन से अधिक अनुज्ञा.—ऐसे क्षेत्र का न्यायिक मैजिस्ट्रेट जिसमें अधिनियम के अधीन प्रतिबन्ध के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिबन्धित किया गया हो, या इस निमित्त लिखित रूप में न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, ऐसे कारण बताए जाने पर, जिन्हें मैजिस्ट्रेट युक्ति-युक्त समझे, अनुपस्थिति की अनुज्ञा 15 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रदान कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को पास जारी कर सकेगा।

3. नियम 8 या नियम 9 के अधीन की जाने वाली अनुज्ञा की शर्तें.—जिस व्यक्ति को नियम 8 व 9 के अधीन अनुपस्थिति अनुज्ञा प्रदान की गई हो वह पास में विनिर्दिष्ट मार्ग द्वारा, अपने गन्तव्य स्थान को जायेगा और विनिर्दिष्ट मार्ग से अपने निवास स्थान को वापिस होगा और गन्तव्य की ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा, अपने आगमन के समय तथा तारीख को पृष्ठांकित करवायेगा, तथा अपने आगमन के तीन दिन के भीतर उस पुलिस थाना को जिसकी सीमाओं में गन्तव्य स्थान स्थित है, अपनी सूचना देगा और पास पर और पृष्ठांकन करने के लिए उसे प्रस्तुत करेगा

4. अवकाश के दौरान सूचना दी जाना.—यदि, अधिनियम के अधीन प्रतिबन्ध के आदेश द्वारा किसी क्षेत्र में प्रतिबन्धित कोई व्यक्ति अवकाश पर हो तो वह उस ग्राम की ग्राम पंचायत के प्रधान को, जिसमें वह हो तीन दिन में एक बार, अपनी सूचना देगा तथा शहरी क्षेत्र होने की दशा में वह पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को सूचना देगा, ऐसी दशा में जिसमें वह अपनी सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान को देता है, पन्द्रह दिन में एक बार, जब तक कि उसे न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा छूट प्राप्त न हो, अपने पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को देगा और अपने पास को पृष्ठांकित करने के लिए उक्त पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा

5. पास समर्पित किए जाना.—प्रतिबन्धित व्यक्ति अपने निवास स्थान में पहुंचने पर पास को उस अधिकारी को समर्पित करेगा जिससे उसने यह पास प्राप्त किया था इस प्रकार वापिस किए गए सभी पास उस पुलिस थाने को अभिलेख के लिए भेजे जायेंगे जिसकी सीमाओं में व्यक्ति को प्रतिबन्धित किया गया हो ।

6. अवकाश पर व्यक्ति जो अपने निवास स्थान पर वापिस आने में असमर्थ है.—यदि कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन पास प्रदान किया गया है, किसी पर्याप्त कारण से, अवकाश की अवधि के दौरान अपने निवास स्थान पर आने में असमर्थ है, तो वह इसकी सूचना समीपस्थ पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को तुरन्त देगा और पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी उसकी अनुपस्थिति के कारणों को सत्यापित करेगा और ऐसी सूचना पास जारी करने वाले अधिकारी को भेजेगा।

7. जारी किए गए पासों का प्रत्याहरण.—प्रदान किया गया कोई पास किसी भी समय प्रत्याहृत किया जा सकेगा।

प्ररूप "क"

(नियम 7 देखें)

हिमाचल प्रदेश रिस्ट्रिक्शन आफ हैबिचुअल ओफेन्डर्स ऐक्ट, 1973 के अधीन प्रतिबन्धित अभ्यासिक अपराधियों के लिए एक दिन का पास

(दो प्रतियों में भरा जाए)

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जाति	निवास स्थान	अनुज्ञा तारीख/दिन	वह स्थान जहां आभ्यासिक अपराधी जायेगा
1	2	3	4	5	6	7

स्थान .....

तारीख .....

पास प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर ।

प्ररूप "ख"

(नियम 8-9 के अध्ययन सहित नियम 13 देखें)

हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी प्रतिबन्धित नियम, 1987 के नियमे 8 व 9 के अधीन आभ्यासिके अपराधियों को जारी किए जाने वाला पास (जब अनुज्ञा एक दिन से अधिक के लिए प्रदान की गई हो)

(तीन प्रतियों में भरा जायेगा)

क्रमांक ..... दिनांक ..... स्थान .....

नाम	पिता का नाम	जाति	निवास स्थान	प्रदान की गई अनुज्ञा	विहित मार्ग	गन्तव्य स्थान	भ्रमण का प्रयोजन	नाम, पिता का नाम और उन व्यक्तियों का पूरा विवरण जिनके साथ गन्तव्य स्थान पर अभ्यासिक अपराधी ठहरेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पास प्रदान करन वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर ।

अवकाश पर पृष्ठांकन

अवकाश क लिए प्रस्थान की तारीख	हस्ताक्षर	अवकाश के दौरान पृष्ठांकन की तारीख	निवास स्थान को वापिस आने की तारीख	प्रधान, ग्राम पंचायत/ थाना प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर	पुलिस थान पहुंचन पर पास की तारीख	पुलिस थान क प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of notification No. Home B(D) 1-1/80, dated 29-11-88 is hereby published in the Himachal Pradesh Rajpatra as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th November, 1988

No. Home-B(D) 1-1/80.—In exercise of the powers conferred under section 17 of the Himachal Pradesh Restriction of Habitual Offenders Act, 1973 (40 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Restriction of Habitual Offenders Rules, 1988.

(2) These rules shall come into force at once.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(*i*) "Act" means the Himachal Pradesh Restriction of Habitual Offenders Act, 1973;

(*ii*) "Court" includes Court of Judicial Magistrate;

(*iii*) "Form" means a form annexed to these rules.

(2) All other words and expressions used in these rules, but not defined herein, shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the Act and the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

3. Areas of restriction.—The areas to which persons may be restricted by an order under the Act shall ordinarily be,—

(*a*) if a person resides in a village the area of the village to which may be added, at the discretion of the Court, the areas of any contiguous village in which the said person owns or occupies any immovable property or practises any trade or calling; and

(*b*) if a person resides in a town—the area of the town, but in special cases the Court may fix a larger area.

Exceptions.—(I) Unless the person restricted under the Act is an owner of land or an occupancy tenant, the Court may, if it is of opinion that the restriction to the aforesaid areas is inexpedient, select any other village or town, as the case may be, in the district within which the person ordinarily resides.

(II) If the person restricted under the Act has been twice convicted of Offendces under Chapter XVII of the Indian Penal Code (45 of 1860) and is not an owner of land or, and occupancy tenant in the area, the area of restriction shall be jurisdiction of Police Station where he is residing.

4. Absence without leave pass.—(1) No person restricted under the Act shall leave or be absent from the area of restriction without having obtained a pass in accordance with these rules and except in accordance with the terms of such pass.

(2) Nothing contained in sub-rule (1) shall be deemed to render it illegal for any restricted person to leave the limits of the area of restriction whenever necessary for the purpose of appearing at the Police Station or before the nearest Magistrate to complain of an offence affecting himself or his family, or to present an appeal or petition of revision against the order of restriction, or to obtain a pass under these rules provided that he gives due notice of his intended departure, to the Prachan of the Gram Panchayat of his village or, in case he resides in a town to the Officer-in-charge of the Police Station.

5. Times of report.—The times at which a person restricted under the Act is required by an order of restriction to report himself shall be not less than twenty four hours and not more than seven days as the Court may fix but such times shall not be more frequent than the Court thinks strictly necessary in each case. The place of report shall be the house of the Prachan, Gram Panchayat in the rural area and Police Station in Urban area.

6. Mode of Report.—Every person required to report himself by an order of resrtiction under the Act shall do so by attending in person and announcing his presence, unless physically incapacitated from doing so.

7. Leave of absence for one day.—A person restricted to any area by an order of restriction under the Act may be granted a pass in Form "A" appended to these rules authorising him to leave the said area for one day, between sunrise and sunset—

(*a*) if he is restricted to any village or group of contiguous villages or larger area by such Officer as may specified by the Judicial Magistrate.

(*b*) If he is restricted to a town, by the Officer-in-charge of the Police Station concerned.

8. Leave not exceeding fifteen days.—The Officer-in-charge of the Police Station not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police, within whose limits any person is restricted by an order of restriction under the Act, may, on due cause being shown, grant such person leave of absence for a period not exceeding fifteen days and may issue a pass to him.

9. Leave exceeding fifteen days.—The Judicial Magistrate of the area in which any person is restricted by an order of restriction under the Act, or any person duly authorised by the Judicial Magistrate in writing in this behalf, may on due cause being shown, grant such person any leave of absence which he may deem reasonable and may issue a pass to him.

10. Conditions attached to leave obtained under rule 8 or rule 9.—Any person granted leave of absence under rule 8 or rule 9 shall travel to his destination and return to his residence by the route specified in the pass, and he shall get the time and date of his arrival endorsed on the pass by the Prachan of the Gram Panchayat of destination and within three days of his arrival he shall report himself at the Police Station within the limits of which his destination is situated, and shall present his pass for further endorsement.

11. Report to be made while on leave.—If any person restricted to any area by an order of restriction under the Act is on leave from the area of restriction, he shall report himself once in every three days to the Prachan of Gram Panchayat of the village in which he may happen to be, and in case of urban area, to the Officer-in-charge of a Police Station; and where he reports himself to a Prachan of the Gram Panchayat, he shall once in every fifteen days, unless exempted by the Judicial Magistrate report himself to, and present his pass for endorsement by the Officer-in-charge of the Police Station.

12. Surrender of passes.—On his return to his residence, the person restricted shall surrender the pass to the authority from whom he received it. All passes so returned shall be sent for record to the Police Station within whose limits the person is restricted.

13. Form of Passes under Rules 8 and 9.—Passes to be issued under rules 8 and 9 shall be in Form "B" appended to these rules. These shall be drawn in triplicate and each part shall be signed and sealed by the authority granting the pass. Its one part shall be retained by the authority granting the pass, the second shall be given to the person granting leave, and third

shall be sent to the Officer-in-charge of the Police Station within whose limits the destination of the holder of the pass lies.

14. Person on leave who is unable to return to the residence.—If any person who has been granted a pass under these rules for any sufficient reasonable cause, is unable to return to his residence within the period of his leave, he shall at once give information to the nearest Police Station and the Officer-in-charge of the Police Station shall verify the reasons of his absence and send a report to the Officer-in-charge who issued the Pass.

15. Withdrawal of passes.—Any pass granted under these rules may, at any time, be withdrawn by the authority granting it or by the Judicial Magistrate or any Officer duly authorised by him in writing in this behalf.

"INSTRUCTIONS"

1. Leave not exceeding 15 days.—The Officer-in-charge of the Police Station not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police, within the limits of which any person is restricted be an order of restriction under the Act, may on due cause being shown, grant such person leave of absence for a period not exceeding fifteen days and may issue a pass to him.

2. Leave exceeding 15 days.—The Judicial Magistrate of the area in which any person is restricted by an order of restriction under the Act, or any person duly authorised by the Judicial Magistrate in writing in this behalf, may, on due cause being shown, grant such person any leave of absence which he may deem reasonable and may issue a pass to him.

3. Conditions attached to leave obtained under rules 8 or 9.—Any person granted leave of absence under rule 8 or rule 9 shall travel to his destination and return to his residence by the route specified in the pass and he shall get the time and date of his arrival endorsed on the pass by the Pradhan, Gram Panchayat of destination and within three days of his arrival he shall report himself at the Police Station within the limits of which his destination is situated and shall present his pass for further endorsement.

4. Reports to be made while on leave.—If any person restricted to any area by an order of restriction under the Act, is on leave from the area of restriction, he shall report himself once in every three days to the Pradhan of Gram Panchayat of the village in which he may happen to be, and in case of urban area to the Officer-in-charge of a Police Station and where he reports himself to a Pradhan of the Gram Panchayat he shall once in every fifteen days unless exempted by the Judicial Magistrate, report himself to, and present his pass for endorsement by the Officer-in-charge of the Police Station.

5. Surrender of Passes.—On his return to his residence, the person restricted shall surrender the pass to the authority from whom he received it. All passes so returned shall be sent for record to the Police Station within whose limits the person is restricted.

6. Person on leave who is unable to return his residence.—If any person who has been granted a pass under these rules for any sufficient reasonable cause is unable to return to his residence within the period of his leave, he shall at once give information to the nearest Police Station and the Officer-in-charge of that Police Station shall verify the reasons of his absence and send a report to the Officer who issued the Pass.

7. Withdrawal of passes.—Any pass granted may be withdrawn at any time.

FORM 'A'

(See rule 7)

"One day's" pass for Habitual Offenders restricted under Himachal Pradesh Restriction of Habitual Offenders Act, 1973

(to be filled in duplicate)

Sl. No.	Name	Father's Name	Caste	Residence	Leave Date/day	Place to which the Habitual Offencer will go
1	2	3	4	5	6	7

Place.....
Date.....

Signature and seal of the Officer granting the pass.

FORM—B

(See rule 13 *read* with rule 8 and 9)

Pass of leave issued to Habitual Offenders under rules 8 or 9 of the H. P. Restriction of Habitual Offenders Rules, 1987 (when the leave granted is in excess of 1 day)

(To be filled in triplicate)

Date..... Place.....

Sl. No.	Name	Father's Name	Caste	Residence	Leave granted	Route prescribed	Destinattion	Purpose of the visit	Name Father's name and full particulars of persons with whom the Habitual Offencer will stay at the destination.

Signature and seal of the Officer granting the pass.

Endorsement while on pass

Date of departure on leave	Signature	Date of endorsement while on leave	Date of return to residence	Signature of Pradhan, Gram Panchayat/ S.H.O.	Data of pass reaching Police Station	Signature of Officer-in-charge of Police Station

By order,
KANWAR SHAMSHER SINGH,
Commissioner-cum-Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 12 अप्रैल, 1988

संख्या 8-5/78-श्रम(ii).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 112 के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश (कारखाना) छूट नियम, 1986 बनाना चाहते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 115 के अधीन यथाअपेक्षित ये नियम उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं जिनके कि उनसे प्रभावित होने की संभावना है इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों पर, उनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा। इनसे प्रभावित होने वाला यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे, तो वह ऐसे आक्षेप/सुझाव उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व, सचिव (श्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा। सरकार ऐसे प्राप्त हुये आक्षेपों या सुझावों पर, यदि कोई हों, इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार करेगी।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.— इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (कारखाना) छूट नियम, 1986 है।
(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।
(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से कारखाना अधिनियम, 1948 अभिप्रेत है ;
(ख) "मुख्य निरीक्षक" से हिमाचल प्रदेश के कारखानों का मुख्य निरीक्षक अभिप्रेत है ;
(ग) "प्रबन्धक" से अधिनियम के प्रयोजन के लिए कारखाने के चालन के लिए अधिष्ठाता के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति अभिप्रेत है।

3. प्रबन्ध या पर्यवेक्षण के पद के धारण करने के लिए घोषित व्यक्ति.— कारखानों के प्रबन्ध या पर्यवेक्षण का पद धारण करने के लिए घोषित व्यक्ति समझे जाएंगे। इससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए।

4. गुप्त पद धारण करने के लिए घोषित व्यक्ति. — निम्नलिखित व्यक्ति, कारखानों में गुप्त पदों को धारण किए हुए समझे जाएंगे.—

(1) विभागाध्यक्ष के साथ कार्यरत आशुलिपिक;
(2) कार्यालय अध्यक्ष ;
(3) जहां कार्यालय अध्यक्ष न हो, वहां मुख्य लिपिक;
(4) जहां कार्यालय अध्यक्ष या मुख्य लिपिक न हो वहां मुख्य मुनीम;
(5) जहां मुख्य सहायक न हो, वहां मुख्य लेखाकार या लेखाकार ;
(6) जहां पर मुख्य समयपाल न हो, वहां समयपाल;
(7) खजानची ; और
(8) कोई अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में कोई गोपनीय पद धारण किए हुए है और उस द्वारा लिखित रूप में इस प्रकार घोषित किया गया है।

5. कतिपय वयस्क कर्मकारों को छूट.— अनुसूची 2 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कारखानों में, इस अधिसूचना के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कार्य में कार्यरत वयस्क कर्मकारों को, स्तम्भ में विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबन्धों से, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हों, छूट प्राप्त होगी।

जिन कारखानों में तकनीकी कारण से कोई कार्य निरन्तर चलता रहना हो, उनमें किसी कार्यकार के ड्यूटी पर उपस्थित होने में असमर्थ होने पर, पारी कर्मकार को, पश्चातवर्ती पारी में; पूरी पारी या उसके किसी भाग के लिए अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (4) के खण्ड (i) और (ii) में अधिरोपित निबन्धों का ध्यान किए बिना अधिक से अधिक आठ घंटे तक कार्य करने की अनुमति दी जाएगी :—

(1) अगली पारी, आठ घंटे की समाप्ति से पूर्व आरम्भ नहीं होगी ;
(2) पश्चात्वर्ती पारी के प्रारम्भ होने के 24 घंटे के भीतर पारी जिन परिस्थितियों में कार्यकार द्वारा पश्चातवर्ती पारी में कार्य करने की उपेक्षा की जाएगी उन्हें स्पष्ट करते हुए इसकी सूचना निरीक्षक को भेजी जाएगी;
(3) छूट केवल पुरुष वयस्क कर्मकारों तक ही सीमित होगी ;
(4) अतिकाल को सम्मिलित करते हुए, किसी भी सप्ताह में कार्यावधि साठ घंटों से अधिक नहीं होगी ;
(5) किसी भी चतुर्थांश में अतिकाल के कुल घंटों की संख्या पचास से अधिक नहीं होगी; और

(6) प्रतिदिन नौ घंटों और प्रति सप्ताह 48 घटों से अधिक अतिकाल में किए गए कार्य के लिए अधिनियम की धारा 59 के अधीन यथा अपेक्षित सभी दशाओं में वेतन संदत्त किया जाएगा।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों में किसी बात के लिए, अक्तूबर और इन नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन किए जाने के बीच किसी व्यक्ति द्वारा भूल से की गई या भूल से रह गई किसी बात के कारण उसे दिए जान वाले दण्ड या शास्ति से दंडित नहीं किया जाएगा।

अनुसूची—1

कारखानों में पर्यवेक्षण या प्रबन्ध के पद धारण करने वाले व्यक्तियों की सूची

1. प्रबन्धक।
2. सहायक प्रबन्धक।
3. इंजीनियर।
4. फोरमैन।
5. कपड़ा मिल में बुनाई मास्टर और कताई मास्टर।
6. मुख्य बिजली मिस्त्री।
7. विभागीय विभागाध्यक्ष।
8. उप-प्रबन्धक।
9. सहायक इंजीनियर।
10. प्रबन्ध अभिकर्ता का सचिव।
11. महाप्रबन्धक का निजी सहायक।
12. ओवरसीयर।
13. पर्यवेक्षक।
14. पेपर मेकर।
15. पहरा निगरानी करने वाला अधिकारी।
16. श्रम कल्याण अधिकारी।
17. मुख्य भण्डारी (स्टोर कीपर)।
18. मुख्य टाईम-कीपर या जहां पर मुख्य टाईम-कीपर का पद न हो, वहां टाईम-कीपर।
19. लाईन अधीक्षक।
20. पावर हाऊस अधीक्षक।
21. जहा पर फोरमैन न हो वहा सहायक फारमैन।
22. दूरभाष पर्यवेक्षक।
23. स्थायी वे निरीक्षक।

अनुसूची—2

छूट प्रदान करने में सशक्त करने वाली अधिनियम की धारा	कारखाने की श्रेणी	छूट प्राप्त कार्य का स्वरूप	छूट की सीमा	पूर्ति
1	2	3	4	5
1. धारा 64 (2) (ए) और 64 (3)।	समस्त कारखाने	अत्यावश्यक मुरम्मत	धारा 51, 52, 54,56 और 61.	किसी भी कर्मकार को उसकी प्रथम नौकरी प्रारम्भ होने से क्रमवर्ती सात दिन के दौरान 66 घंट या क्रमवर्ती तीन दिन क दौरान 39 घण्टे और किसी भी दिन में 15 घण्टे से अधिक समय के लिए, मुरम्मत करने क लिए नियोजित नहीं किया जा सकगा। (2) कार्य प्रारम्भ किए जाने क 24 घंट के भीतर, अत्यावश्यक मुरम्मत और उसके पूर्ण होने के सामान्य समय का वर्णन करते हुए, इसकी सूचना निरीक्षक को भेजी जाएगी।
2. धारा 64 (2) (बी) और (एच) और 64 (3)।	समस्त कारखाने	(1) मकैनिकल शोप, स्मिथी या कांउंट्री में कार्य या मिल गियरिंग, इलैक्ट्रिकल ड्राइविंग		

1	2	3	4	5
		या लाडटिंग एपरटस मकैनिकल या इलैक्ट्रिकल लिफ्ट या स्टीम या वाटर पाईप या कारखाने क पम्प सम्बन्धित कार्य। (2) किसी मशीनरी या प्लांट के किसी अन्य भाग की मुरम्मत के परीक्षण का कार्य जो कारखान में कार्य करने के लिए आवश्यक है । (3) वायलर हाऊस और इंजन रूप में कार्य जैसा कि कारखाने में नियमित कार्य प्रारम्भ करने के लिए स्टीम का गैस जलाना ।	धारा 52, 54, 55, 56 और 61.	ओवर टाईम को सम्मिलित करते हुए कार्यावधि धारा 64 की उपधारा (4) में उल्लिखित कार्यावधि से अधिक नहीं होगी ।
3. धारा 64 (2) (सी) और 64 (3)	समस्त कारखाने	(1) बिजली, संवाती और आर्द्र करने वाले उपस्कर स चालकों द्वारा किए गए कार्य । (2) फायर पम्पमैन द्वारा किया गया कार्य । (3) कारखानों में कच्चा माल चढ़ान या वहां से उतारने में लगे व्यक्तियों का कार्य, जहां एसा कार्य आन्तरिक किया जाना है और मुख्यत: कारखाना परिसर से बाहर है ।	धारा 51, 54, 55 और 56.	—यथोपरि—
4. धारा 64 (2) (सी) और 64 (3)	खाद मिलाने वाले कारखाने ।	खाद मिलाने में कार्यरत कर्मकार ।	धारा, 51 52, 54, 55 56 और 62.	—यथोपरि—
5. धारा 64 (2) (डी) और 64(3)	तेल से टैंक का लगाया जाना ।	पम्पिंग संक्रिया से सम्बद्ध कर्मकारों द्वारा किया गया कार्य ।	धारा 51, 52, 54, 55, 56 और 61.	ड्यूटी पर अनुपस्थित होने वाले कर्मकार के स्थान पर पारी कर्मकार को पश्चात्वर्ती पूरी पारी या उसके किसी भाग के लिए कार्य करन की अनमति दी जाएगी । परन्तु :— (i) पारी कर्मकार की अगली पारी, 16 घंटे के अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रारम्भ नहीं होगी । (ii) पश्चातवर्ती पारी क प्रारम्भ मे 24 घंट की भीतर जिन परिस्थितियों में कर्मकार द्वारा पश्चातवर्ती पारी में कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी उन्हें स्पष्ट करते हुए इसकी सचना निरीक्षक को भेजी जाएगी । (iii) छूट केवल पुरुष व्यस्क कर्मकारों तक ही सीमित रहगी ।

1	2	3	4	5
				(iv) ओवर टाईम को सम्मिलित करत हुए कार्यावधि, धारा 64 की उप-धारा (4) में उल्लिखित कार्यावधि से अधिक नहीं होगी ।
6. धारा 64(2)(डी) और धारा 64(3)	पब्लिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कारखाने ।	प्राईम मूवर और आग जिलयरि, ट्रेन्स फारमर और स्विच का प्रचालन और अनुरक्षण ।	धारा 52, 54 और 55.	-यथोपरि-
7. धारा (64)2(डी) और 64 (3)	तेल इन्टर्नल कम्बस्शन ईजन से बिजली पैदा करने वाली पब्लिक इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनियां ।	इंजन चालक, सहायक जैनरेटर एटेंन्डैंट ब्र्याय-लर एवं गीजर, स्विच बोर्ड आपरेटर और पम्पमैन का कार्य ।	धारा 52, 54 और 55.	-यथोपरि-
8. -यथोपरि-	इलैक्ट्रीक्ल ट्रांसफार्म कारखाने ।	ट्रांसफार्म प्लांट, स्विच और सिन्ग क्रनस कन्डे-न्सर के प्रचालन और अनुसरक्ष का कार्य ।		-यथोपरि-
9. -यथोपरि-	आसवनी	(क) विभिन्न तरीकों से खांड़ निकालने, खांड रस निकालने का कार्य और खमीर रसके आसवनी का कार्य । (ख) वायलर इंजन मोटर, स्विच बोर्ड और पम्प पर कार्य । (ग) सीरा निकालने का कार्य । (घ) वाश के खमीर का कार्य । (ङ) जिसट प्रवर्धन का कार्य । (च) आसवनी प्रसंक-करण का कार्य ।		
10. 64 (2) डी और 64 (3)	खांड के कारखाने	कैन से रस का निकालना मासी कट वैगिंग के मिसिकिरिंग निर्मली-करण, वाष्पीकरण और कवथन ।	धारा 51, 52, 54 और 55	पारी कर्मकार के ड्यूटी पर अनुपस्थित होने पर पारी कर्मकार को पूरी पारी या उसके भाग के लिए कार्य करने की अनु-मति दी जायेगी । (i) पारी कर्मकार की अगली पारी 16 घण्टों की अवधि समाप्त होने से पूर्व आरम्भ नहीं होगी । (ii) पश्चातवर्ती पारी के प्रारम्भ से 24 घण्टे के भीतर जिन 'परि-स्थितियों में कर्मकार द्वारा पारवर्ती. पारी में कार्य करने की अपक्षा की जाएगी, उन्हें स्पष्ट करते हुए इसकी सूचना निरीक्षक को भेजी जाएगी (iii) छूट केवल पुरुष व्यस्क कर्मकारों तक ही सीमित रहगी ।

1	2	3	4	5
				(iv) अतिकाल को सम्मिलित करते हुए कार्यविधि धारा 64 की उप-धारा (4) में उल्लिखित कार्यावधि से अधिक नहीं होगी ।
11. 64(2) डी और 64(3)	रसायन कारखाने	गन्धक चरनर चैम्बर मांद्र और पम्प और रोस्टिंग भट्टी पर कार्य हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक ऐसिड सल्फेट, सुपर फास्फेट और क्लोराइड तैयार करने का कार्य और स्टीम संरक्षित पर कार्य ।	धारा 51, 52, 54, और 55.	
12. -यथोपरि-	वनस्पति तेल और हाइड्रोजनेशन कारखाने ।	हाइड्रोजन के परिष्करण, वलीचिंग, फिल्टरिंग और तैयार करने का कार्य हाइड्रोजिनेटिंग और इयोडराइजिंग , प्रोसैस और आक्सीजन का कम्प्रेशन और सिलैण्डर को भरना और इलैक्ट्रिक प्लांट पर कार्य	धारा 51, 52, 54, और 55.	-यथोपरि-
13. -यथोपरि-	बर्फ कारखाने	इंजन पर और कम्प्रेशर चालकों और सहायकों और तेल वालों का कार्य ।	धारा 52 54 और 55.	-यथोपरि-
13. -यथोपरि-	बर्फ कारखाने	इंजिन और कंम्प्रैशर चालकों और सहायकों और तेल वालों का कार्य	धारा 52,50 और 55	-यथोपरि-
14. -यथोपरि-	तेल मिल	समस्त कार्य।	धारा 52 और 55	-यथोपरि-
15. -यथोपरि-	आटा मिल	समस्त कार्य	धारा 52 और 55	-यथोपरि-
16. -यथोपरि-	कांच के कारखाने	(क) भट्टी का कार्य (ख) बनाए गए ग्लास-वैयर के पैन को मिलाने और हटाये जाने का समस्त कार्य और प्रोसैस ।	धारा 52	-यथोपरि-
17. -यथोपरि-	कागज बनाने के कारखाने	(क) कागज बनाने वाली मशीनरी पर किया गया कार्य और उससे उत्पादन और बिजली प्रदान सम्बन्धी समस्त कार्य । (ख) चापर, पाचिव नीडर, स्टेनर और बाशर, बीटर कागज बनाने वाली मशीन, पम्प प्लांट रोलर, कटर और पावर प्लांट ।	धारा 54 और 55	-यथोपरि-
18. -यथोपरि-	रबर टायर कारखाने	तराई प्रोसैस पर समस्त कार्य ।	धारा 55	-यथोपरि-
19. धारा 64 (2) (डी) और 64 (3).	लोहा और इस्पात के कारखाने	इस्पात भट्ठी पर समस्त कार्य।	धारा 51, 52, 54, 55 और 56.	ड्यूटी पर अनुपस्थिति होने वाले कर्मकार के स्थान पर पारी कर्मकार को पूरी पारी या उसके किसी भाग क लिए कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। (1) पारी कर्मकार की अगली पारी 16घण्ट की अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रारम्भ नहीं होगी।

1	2	3	4	5
				(2) पश्चात्पारी के प्रारम्भ से 24 घंटे के भीतर जिन परिस्थितियों में कर्मकार द्वारा पारी में कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी उन्हें स्पष्ट करते हुए इसकी सूचना निरीक्षक को भेजी जाएगी । (3) छूट केवल पुरुष व्यस्क कर्मकारों तक ही सीमित रहेगी । (4) अतिकाल को सम्मिलित करते हुए, कार्यावधि धारा 64 की उप-धारा (4) में उल्लिखित कार्यावधि से अधिक नहीं होगी ।
20. धारा 64 (2) डी और 64 (3).	बूअरी	(क) बायलर इंजिन पम्प पर कार्य, और (ख) मैटिंग कापर होप बैंक कूलर रैफ्रिजीरेटर, जीसट प्रापगेशन पर कार्य ।	धारा 51, 52, 54 और 55.	-यथोपरि- -यथोपरि-
21. -यथोपरि-	गंधराल और तारपीन कारखाने ।	(क) बायलर, इंजिन पम्प, डायनामो मोटर और स्विच बोर्ड पर कार्य, (ख) गंधराल का आसवन, (ग) तारपिन का परिष्करण, और (घ) गंधराल का मकिंग और शोधन।	-यथोपरि-	-यथोपरि-
22. 64 (2) (डी) और 63 (4)	कपड़ा मिल	रंगाई विरंजन और फिनिशिंग का कार्य	धारा 52, 54 और 55	-यथोपरि-
23. -यथोपरि-		निरन्तर प्रसंस्करण पर समस्त कार्य	धारा 51, 52, 54, 55 और 56	(1) कर्मकारों को पारी में आठ घण्ट से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (2) किसी भी कर्मकार को इस ढंग स कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि किसी भी दिन समय विस्तार 12 घण्ट से अधिक हो जाए और ऐसा केवल ऐसे मामले में ही अनुज्ञेय होगा जो निरन्तर प्रसंस्करण पर कार्यरत कोई पारी रिलीवर ठीक समय पर उपस्थित नहीं होता है और वैकल्पिक राहत व्यवस्था न की जा सकी हो । (3) किसी भी कार्यकार को किसी भी सप्ताह में 56 घंटों स अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय इसक जब कर्मकार उक्त निर्दिष्ट शर्तें (2) क अनुसार नियोजित किया जाता है । उसे
		सीमेंट के कारखाने		

1	2	3	4	5
				किसी भी सप्ताह में 64 घण्टों से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जयेगी । (4) ऐसे कर्मकारों को प्रत्येक निरन्तर 4 छुट्टियों में से 2 से कम छुटिटयां नहीं दी जाएंगी ।
24. 64 (2) (डी) और 64 (4)	लोहमय और अलोहमय धातु ।	भटियों पर समस्त कार्य ।	धारा 51, 52, 54 55 और 56.	(1) कर्मकारों को पारी में 8 घण्टों से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (2) किसी भी कर्मकार को इस रीति से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि किसी भी दिन में समय विस्तार 12 घण्टों से अधिक हो जाए और ऐसा केवल ऐसे मामलों में ही अनुज्ञेय होगा जब लगातार प्रोसैस पर कार्यरत कोई पारी रिलीवर ठीक समय पर उपस्थित नहीं होता है और वैकल्पिक राहत की व्यवस्था न की जा सकी हो । (3) किसी भी कर्मकार को किसी भी सप्ताह में 56 घण्टों से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय इसके जब कर्मकार उक्त निर्दिष्ट शर्तें के अनुसार नियोजित किया जाता है । उसे किसी भी सप्ताह में 64 से अधिक घण्टों में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (4) ऐसे कर्मकारों को प्रत्येक निरन्तर 4 छुटिटयों में से 2 से कम छुटिटयां नहीं दी जाएगी ।
25. 64(2) (डी)	भैषजीय कारखाने	समस्त अनकरत कार्य	धारा 55	कर्मकारों को पारी में 8 घण्टे तक कार्य करने की अनुमति दी जाएगी न कि उससे अधिक । कर्मकारों को कानून
26. धारा 64(2)(ए)और64 (3)	डेरी निर्माण प्रसंस्करण	दूध प्राप्त करना, तैयार करना, उसका संग्रहण और वितरण और डैरी से सम्बन्धित समस्त कार्य ।	धारा 55 व 61	द्वारा अधिक कारखानों में होने वाली 4 छुटियां में से 2 से कम छुटिट्यों नहीं दी जाएगी उन्हें किन्हीं अन्य साप्ताहिक दो छुटिट्यों में 6 घण्टे से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (2) धारा 52 द्वारा अपेक्षित सूचना निरीक्षक के कार्यालय में वितरित की जाएगी जिसमें अनुपात छुटिटयां दर्शित की जाएंगी ।

1	2	3	4	5
27. धारा (2) (डी) और 64 (3)	फल प्रसंस्करण कारखाने	विनिर्माण प्रसंस्करण	धारा 51,52,54, 55, 56 और 61.	कर्मकारों को पारी के दौरान 8 घन्टे से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (2) ऐसे रिलीवर की अनुपस्थिति में जो डयटी पर उपस्थित होने में असफल रहता है पारी कर्मकार को पश्चातवर्ती पारी में पूरी पारी या उसके किसी भाग के लिए कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी परन्तु पारी कर्मकार की अगली पारी तब तक प्रारम्भ नहीं होगी जब तक पूर्ववर्ती पारी की समाप्ति के पश्चात 16 घण्टे व्यतीत नहीं हो जाते हैं। (3) समय विस्तार प्रतिदिन 12 घण्ट से अधिक नहीं होगा। (4) अतिकाल को सम्मिलित करते हुए सप्ताह में कार्याविध 56 घटे से अधिक नहीं होगी सिवाय इसके कि जब उक्त कर्मकार की शर्त के अनुसार कार्य में लगाया जाता है किसी भी सप्ताह में कुल कार्याविधि 64 घण्टे से अधिक नहीं होगी। (5) ऐसे कर्मकारों को, कानून द्वारा अपेक्षित लगातार चार छुटिटयों में से दो से कम छुटिटयां नहीं दी जाएंगी। (6) धारा 62 के अधीन तैयार किए जाने वाले रजिस्टर या उपस्थिति नामावली में उस अवधि का पूरा विवरण दिया जाएगा जिसके दौरान प्रत्येक ऐसे कर्मकार द्वारा कार्य करन की अपेक्षा की जा सकेगी। रजिस्टर में प्रविष्टियां उद्यत रखी जाएंगी।
28. धारा 64 (2) और 64 (3)	चाय बागान के कारखाने।	चाय बागान में स्थित एक भाज चाय उत्पादन के लिए स्थापित किसी कारखाने में विनिर्माण प्रसंस्करण में कार्यरत व्यक्तियों का कार्य।	धारा 52, 55 और 61	अतिकाल को सम्मिलित करते हुए कार्याविधि, धारा 64 की उप-धारा (4) में उल्लिखित कार्याविधि से अधिक नहीं होगी।
29. धारा64 (2) (1)	समाचार पत्र मुद्रण कारखाने।	टैली प्रिन्टर सेवा मशीनरी विभाग।	धारा 52, 54 56 और 61.	अतिकाल को सम्मिलित करते हुए, कार्याविधि, धारा 64 की उप-धारा (4) में उल्लिखित कार्याविधि से अधिक नहीं होगी।

1	2	3	4	5
30. धारा 64 (2) डी और 64 (3) ।	समस्त कारखाने	रेल डिब्बे, उस में से माल भरने और उसमें से उतारना ।	धारा 51, 52, 54, 55, 56 और 61.	-यथोपरि-
31. धारा 64 (2) (के)	कोई अन्य कारखाना, या कारखानों के अन्तर्गत आने वाली कोई क्लास या कारखाना जो सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ।	राष्ट्रीय गृह का ऐसा कार्य जो सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ।	धारा 51, 52, 55, 56 और 61.	अतिकाल को सम्मिलित करते हुए कार्यावधि जो धारा 64 की उप-धारा (4) में उल्लिखित कार्यावधि से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण

(1) निम्नलिखित अत्यावश्यक मुरम्मत समझी जाएगी, अर्थात्:—

(क) मशीनरी प्लांट के किसी भाग या कारखाने की संरचना की मुरम्मत की जानी ऐसे स्वरूप की है जिनमें विलम्ब करने से मानव-जीवन या सुरक्षा के लिए या विनिर्माण प्रसंस्करण बन्द हो जाने के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा ।

(ख) मोटिव पावर ट्रांसमिशन या अन्य कारखानों के अन्य आवश्यक प्लांट रेलवे, कल्याणादि डाक-यार्ड, हार्बर, ट्रामवे, मोटर ट्रांसपोर्ट, गैस इलैक्ट्रिकल जेनेरेटिंग और ट्रांसमिशन, पम्पिंग की विभग मुरम्मत या जनरल इंजीनियरिंग वर्क और फाउन्डरी में इस प्रकार की जाने वाली आवश्यक या लोको उपयोगिता मुरम्मत जो उनके विनियमों/प्रसंस्करण के उत्पादन को चलाए रखने या सामान्य कार्य समय में की जानी आवश्यक है ।

(ग) मोटर पावर के बदलने सम्बन्धी मुरम्मत, उदाहरणतः स्टीम से बिजली में बदलना, मोटर पावर को या बिजली से स्टीम में बदलना जब ऐसा कार्य सम्भवतः विनिर्माण प्रसंस्करण बन्द किए बिना न किया जा सकता हो ।

(2) पद "परीक्षण और मुरम्मत" के अन्तर्गत कालिक सफाई नहीं आती है ।

आदेश द्वारा,
विमला भगत,
सचिव ।

[*Authoritative English text of notification No.* 8-5/78-*Shram* (*II*), *dated* 12-4-1987 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd December, 1988

No. 8-5/78-Shram (II).—In exercise of the powers conferred by section 64 read with section 112 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following draft rules entitled as the Himachal Pradesh (Factories) Exemption Rules, 1986 and the same as required under section 115 of the Act *ibid* are hereby published in Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the persons likely to be affected thereby and a notice is hereby given that these rules will be taken into consideration after three months from the date of publication in the Rajpatra.

If any person affected hereby desires to make any objections or suggestions regarding these rules, he can send the same to the Secretary (Labour) to the Government of Himachal Pradesh before the expiry of the above period. The objections or suggestions, if any, so received will be taken into consideraion before finalising these rules:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh (Factories) Exemption Rules, 1986.

(2) They extend to the whole of the State of Himachal Pradesh,

(3) They shall come into force at once and shall remain in force for a period of five years from the date of their commencement.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Factories Act, 1948;

(*b*) "Chief Inspector" means the Chief Inspector of Factories Himachal Pradesh; and

(*c*) "Manager" means the person responsible to the occupier for the working of the factory for the purpose of the Act.

3. **Persons declared to hold positions of supervision of management.**—(*i*) The persons mentioned in schedule-I annexed hereto ; and

(*ii*) any other person who declared by the State Government shall for the purpose of these rules, be deemed to be the persons defined to hold positions of supervision or management in factories.

4. **Persons declared to hold confidential positions.**—The following persons shall be deemed to hold confidential position in the factory:

(*i*) Stenographer attached to the Head of Department;
(*ii*) Office Superintendent,
(*iii*) Head Clerk where there is no office Superintendent,
(*iv*) Head Munim where there is no office Superintendent or Head Clerk,
(*v*) Head Accountant or Accountant where there is no Hea d Assistant,
(*vi*) Head Time Keeper or Time Keeper where there is no Head Assistant,
(*vii*) Cashier, and
(*viii*) any other person who in the opinion of the State Government holds a confidential position and is so declared by it in writing.

5. **Exemption of Certain Adult Workers.**—Adult workers engaged in factories specified in the column (2) of the Schedule-II hereto annexed, in the work specified in colunm (3) of the said Schedule-II shall be exempted from the provisions of section specified in column (4) subject to the condition if any, specified in colunm (5) of the said schedule-II.

In the absence of a worker who has failed to report for duty in the factories, in which any work should be carried out continuously for technical reason, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of the subsequent shift subject to a maximum of eight hours in the subsequent shift irrespective of the restriction imposed in clauses (*i*) and (*ii*) of sub-section (4) of section 64 of the Act,

(*i*) provided that the next shift of the shift worker shall not commence before a period of eight hours has elapsed,
(*ii*) within 24 hours of the commencement of the subsequent shift notice shall be sent to the Inspector explaining the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift,
(*iii*) the exemption will be restricted to only male adult workers,
(*iv*) the total number of hours of work in a week including overtime, shall not exceed sixty,
(*v*) total number of hours of overtime shall not exceed fifty for any one quarter.
(*vi*) double wages for overtime work done, beyond nine hours per day and 48 hours per week shall be paid in all cases as required by section 59 of the Act.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall render and person liable to any punishment or penalty whatsoever by reason of anything done or omitted to be done by him contrary to the provisions of these rules between the 16th October, 1979 and the date of publication of these rules in the Himachal Pradesh Rajpatra.

SCHEDULE

LIST OF PERSONS TO HOLD POSITIONS OF SUPERVISION OR MANAGEMENT IN FACTORIES

1. Manager
2. Assistant Manager
3. Engineer
4. Foreman
5. Weaving Masters and Spinning Masters in Textile Mills

6. Head Electrician
7. Departmental Heads
8. Deputy Manager
9. Assistant Engineer
10. Secretary to the Managing Agent
11. Personal Assistant to the General Manager
12. Overseer
13. Supervisor
14. Paper maker
15. Watch and Ward Officer
16. Labour Welare Officer
17. Head Store-keeper
18. Head Time-keeper or Time-keeper where there is no post of Head Time-keeper.
19. Line Superintendents
20. Power House Superintendents
21. Assistant Foreman where there is no Foreman
22. Telephone Supervisor
23. Permanent Way Inspector

SCHEDULE II

Section in of the Act empowering grant of exe r ption	Class of factory	Nature of exempted work	Extent of exemption	Remarks/Conditions
1	2	3	4	5
Sections 64 (2)(*a*) and 64(3).	All factories	Urgent repairs	Sections 51, 52, 54, 55, 56 and 61.	(1) No worker shall be employed on such repairs for more than 15 hours on any day, 39 hours during three consecutive days for 6 hours during each period of seven consecutive days commencing from his first employment on such repairs. (2) Within 24 hours of the commencement of the work notice shall be sent to Inspector describing the nature of the urgent repairs and the period probably required for their completion.
2. Sections 64 (2) (*b*) and(h) and 64(3).	All factories	(*i*) Work in the mechanical shop, the smithy or the foundry or in connection with the mill gearing, the electric driving or lighting apparatus, the mechanical or electrical lifts or the steam or water pipes pumps of a factory. (*ii*) work of examining for repairing any machinery or other part of the plant which is necessary for carrying on the work in the factory. (*iii*) Work in boiler house and engine rooms, such as lighting fires in order to raise steam or generate gas preparatory to the commencement of regular work in the factory.	Sections 51, 54, 55, 56 and 61.	The limits of work inclusive of overtime shall not exceed those mentioned in sub-section (4) of section 64.
3. Sections 64 (2)(*e*) and 64(3).	All factories	(*i*) Work performed by drivers on lighting, ventilating and humidifying appartus. (*ii*) Work performed by fire pumpman. (*iii*) Work of persons engaged in loading or unloading of raw materials or finished articles in factories where such work is intermittent and mainly outside the factory premises.	Sections 51, 54, 55 and 61.	The limits of work inclusive of overtime shall not exceed those mentioned in sub-section(4) of section 64. -do- -do-
4. Sections 64(2)(*c*) and 64 (3).	Fertilizer mixing factories.	Workers ergaged in mixing of fertilizers.	Sections 51, 52, 54, 55, 56 and 61.	The limits of work inclusive of overtime shall not exceed those mentioned in sub-section (4) of section 64.
5. Sections 64(2)(*d*) and 64 (3).	Oil Tank installations.	Work performed by workers connected with pumping operations.	Sections 51, 52, 54, 55, 56, and 61..	In the absence of a worker who has failed to report for a duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of a subsequent shift provided that:— (*i*) the next shift of the shift worker shall not commence before a period of 16 hours has elapsed; (*ii*) within 24 hours of the commencement of the subsequent shift, notice shall be sent to the Inspector describing the circumstances under which the worker is required to work in the subsequent shift; (*iii*) the exemption will be restricted to only male adult workers; and (*iv*) the limits of work inclusive of overtime shall not exceed those mentioned in sub-section (4) of section 64.
6. Sections 64(2) (*d*) and section 64(3).	Pulic Hydro Electric supply factories.	Operation and maintenance of prime movers and auxillries transformers and switches.	Sections 52, 54 and 55.	-do-
Sections 64(2)(d) and 64 (3).	Public Electric supply companies, generating electricity from oil internal combustion engines.	Work of engine drivers Assistants, generator attendents, oilers and geasers switch board operators and pump-men	Sections 52, 54 and 55.	-do-

1	2	3	4	5
8. Sections 64 (2)(d) and 64(3)	Electrical Transforming factories.	Work of operation and maintenance of the transforming plant, switches and synchronous condensers.	Sections 52,54 and 55	-do-
9. -do-	Distilleries	Work on extraction: (*a*) of sugar from various basis, fermentation of sugar, juice and distillation of fermented wash, (*b*) work on boilers engine motors, switch boards and pumps, (*c*) Working molasses, (*d*) fermentation of wash, (*e*) yeast propagation, (*f*) distillation process	Sections 51, 52, 54 & 55.	-do-
10. Sections 64(2)(*d*) and 64(3).	Sugar factories	Extraction of the juice from the cane, clarification, evaporation and boiling of the micecuring of the masecuite bagging.	Sections 51, 52, 54 and 55.	In the absence of a worker who has failed to report for a duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of a subsequent shift provided that: (*i*) the next shift of the shift worker shall not commence before a period of 16 hours has elapsed, (*ii*) within 24 hours of the commencement of the subsequent shift, notice shall be sent to the Inspector describing the circumstances under which the worker is required to work to the subsequent shift. (*iii*) the exemption will be restricted to only male adult workers, and (*iv*) the limits of work inclusive of over time shall not exceed those mentioned in subsectiof (4) of section 64,
11. -do-	Chemical factories.	Work on the sulphur burners, chambers, concentrators and pumps, rosting furnace, manufacture of hydrochloric and nitric acid, sulphates, sulphides, nitrates, superphosphates and chlorides and work on the steam service	Section 51, 52, 54 55.	-do-
12. -do-	Vegetable oil and Hydrogenation factories.	The work of refining, bleaching, filtering generation of hydrogen, hydrogenating and deorising process, also compression of oxygen and cylinder filling and work on the electric power plant.	Sections 51, 52, 54 and 55.	-do-
13. -do-	Ice Factories	Work of the engine and compressor drivers and assistants and oilers.	Sections 52, 54 and 55	-do-
14. -do-	Oil Mills	All work	Sections 54 and 55.	-do-
15. -do-	Flour Mills	All work	Sections 52 and 55.	-do-
16. -do-	Glass Factories	(*a*) work in attending to furnace.	Sections 52 and 55.	-do-
		(*b*) All work and processes from mixing of batch to removal of the manufactured glassware from lears.	Section 52	-do-
17. -do-	Paper factories	(*a*) All work on paper making machinery and on the generation and supply power connected therewith.	Sections 54 and 55.	-do-
		(*b*) Work on choppers, digesters, kneaders, strainers, and washers, beaters, paper making machines, pumping plant reelers, cutters and power plant.	Sections 52, 54 and 55	-do-
18. -do-	Rubber Tyre factories.	All work on curing process	Section 55	-do-
19. Sections 64(2)(d) and 64(3).	Iron and Steel factories.	All work on steel furnaces	Sections 51, 52, 54, 55 and 56.	In the absence of a worker who has failed to report for a duty, a shift worker shall be allowed to work the whole or part of a subsequent shift provided that:— (*i*) the next shift of the shift worker shall not commence before a period of 16 hours has elapsed; (*ii*) within 24 hours of the commencement of the subsequent shift notice shall be sent to the Inspector describing the circumstances under which the worker is required to work in subsequent shift; (*iii*) the exemption will be restricted to only male adult workers; and (*iv*) the limits of work inclusive of overtime shall not exceed those mentioned in subsection (4) of Section 64.

1	2	3	4	5
20. Sections 64 (2)(*d*) and 64 (3).	Breweries	Work on : (*a*) Boilers, engines and pumps,and	Sections 51, 52, 54 and 55.	-do-
		(*b*) Melting coppers hop back collers, refrigerators, yeast propogation.	-do-	-do-
21. -do-	Rosin and Turpentine factories.	Work on : (*a*) Boilers, engine, pumps, dynamos, motors and switch boards; (*b*) Distillation of Resin, (*c*) Regining of Turpentine, and (*d*) Filteration and casking of resin.	-do-	-do-
22. -do-	Textile Mills	Work on dyeing, bleaching and finishing.	Sections 52, 54 and 55.	-do-
23. -do-	Cement Factories.	All work on continuous process.	Sections 51, 52, 54, 55 and 56.	(1) The workers shall be allowed to work on shift of not longer than 8 hours duration. (2) No worker shall be allowed to work in such a manner that the spread over exceeds 12 hours in any day and this shall only be permissible in cases when a shift reliever. working on continuous process does not attend at the correct time and alternative relief could not be arranged. (3) No worker shall be allowed to work for more than 56 hours in any one week except that when employed as in condition (2) above he shall not be allowed to work for more than 64 hours in any one week. (4) Such workers shall be allowed not less than 2 holidays in each period covered by 4 consecutive statutory holidays.
24. Sections 64(2)(*d*) and 64 (4).	Ferrous and non-ferrous metal factories.	All work on furnaces	Sections 51, 52, 54, 55 and 56.	-do-
25. Section 64(2)(*d*)	Pharmaceutical Factories.	All contnuous process work	Section 55.	Workers shall be allowed to work on shifts of not longer than 8 hours du ation.
26. Sections 64 (2)(*e*) and 64 (3).	Dairy Manufacturing Process.	Receiving, Processing, Storage, Distribution of Milk and all connected workers of dairy.	Sections 52 & 61	(1) Workers shall be allowed not less than 2 holidays in each period covered by 4 consecutive statutory factory holidays and shall not be attend to work for more than 6 hours on any of the other 2 weekly holidays. (2) The notice required by section 52 shall be delivered to the Office of the Inspector showing on which days holiday will be allowed.
27. Section 64(2) (*d*) and 64(3).	Fruit Processing Factories.	Manufacturing Process	Sections 51, 52, 54, 55, 56 and 61.	(1) The workers shall not be allowed to work on shifts of not longer than eight hours duration. (2) In the absence of a releiver who has failed to report for duty, a shift worker may be allowed to work the whole or a part of a subsequent shift provided that the next shift of the shift worker shall not commence before a period of 16 hours has elapsed after the specified stopping time of the previous shift. (3) The daily spread over shall not exceed 12 hours; (4) The total number of hours worked in a week inclusive of overtime, shall not exceed 56 except that when employed as in condition (2) above, the total hours shall not exceed 64 in any week. (5) Such workers shall be allowed not less than two holidays in each period covered by four consecutive statutory holidays. (6) Register or Musteroll required to be maintained under section 62 shall show correctly full particulars of period within which each such worker may be required to work. Entries in the Register shall be up-to-date.

1	2	3	4	5
28. Sections 64(2) (g) and 64(3).	Factories in Tea Plantations.	Work of persons engaged in any manufacturing process in a factory situated in and used solely for the purpose of Tea plantation.	Sections 52, 55 & 61.	The limits of work inclusive of overtime shall not exceed those mentioned in sub-section (4) of section 64.
29. Section 64(2)(i)	News paper Printing Factories.	Breakdown of machinery and teleprinter services.	Sections 51, 54, 56 & 61.	The limit of work inclusive of overtime shall not exceed those mentioned in sub-section (4) of section 64.
30. Sections 64 (2)(j) and 64(3).	All Factories.	Loading and unloading of railway wagons.	Sections 51, 52, 54, 55, 56 and 61.	-do-
31. Section 64(2) (k).	Any other factories or Class or description of the factories as may be notified by the State Government in the Official Gazette.	Work of national importance such as may be notified by the State Government in the Official Gazette.	Sections 51, 52, 54, 55 and 56.	The limits of work inclusive of overtime shall not exceed those mentioned in sub-section (4) of section 64.

EXPLANATIONS

The following shall be considered to be urgent repairs:—

(*a*) Repairs to any part of machinery plant or structure of a factory which are of such a nature that delay in their execution would involve danger to human life or safety or the stoppage of manufacturing process.

(*b*) Breakdown repairs to the motive powers, transmission or other essential plant of other factories, collieries, railway, dockyards, hardbours, tramways, motor transport, gas, electrical generating and transmission, pumping or similar essential or public utility services carried out in general engineering works and foundries and which are necessary to enable such concern to maintain their maufacturing processes, production or service during normal working hours.

(*c*) Repairs in connection with a change of motive power, for example from steam to electricity or vice versa when such work cannot possible to be done without stoppage of the normal manufacturing process.

2. Periodical cleaning is not included in the term "examining or repairing".

By order,
VIMLA BHAGAT,
Secretary.

[*Authoritative English text of Government notification No.*6-30/85-*Tpt., dated* 2-12-88 *is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 2nd December, 1988

No. 6-30/85-Tpt.—In exercise of the powers conferred by section 3-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Himachal Pradesh Scheme for payment of ex-gratia grant to a passenger, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 19-11-1977 *vide* Government notification No. 6-27/76-Tpt., dated 18-11-1977, with immediate effect :—

AMENDMENT

Amendment in sub-para (*a*) *of Para*-4.—For the words "thirty thousand" occurring in sub-para (a) of para 4 of the Himachal Pradesh Scheme for payment of ex-gratia grant to a passenger, the words "thrity five thousand" shall be substituted.

By order,
G. S. CHAMBIAL,
Commissioner-cum-*Secretary.*

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

(शिमला–171002, 15 फरवरी, 1989)

संख्या गृह-II (बी) 2-3/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा विभाग में इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार हवलदार अनुदेशक/क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा विभाग में हवलदार अनुदेशक/क्वार्टर मास्टर हवलदार के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1988 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम	हवलदार अनुदेशक/क्वाटर मास्टर हवलदार के पदों की संख्या वर्गीकरण, वतनमान, अर्हताएं, भर्ती की पद्धति उपाबन्ध "अ" में विनिर्दिष्ट हैं।

3. निरसन और व्यावृत्ति	3. इस विभाग की अधिसूचना संख्या 17-4/66-होम, दिनांक 20-1-1971 द्वारा अधिसूचित हवलदार अनुदेशक/क्वार्टर मास्टर हवलदार पदों के भर्ती और प्रोन्नति नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं परन्तु ऐसे निरसन से, उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उनके अधीन की गई नियुक्ति या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उपाबन्ध "अ"

गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में हवलदार अनुदेशक/क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	हवलदार अनुदेशक/क्वार्टरमास्टर हवलदार ।
2. पदों की संख्या	56
3. वेतनमान	रु0 450-15-525/15-600/20 700 ।
4. वर्गीकरण	वर्ग तीन अलिपिकीय वर्ग ।
5. चयन अथवा अचयन पद	अचयन ।
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	18 से 50 वर्ष : परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकव्य हो गया है तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात-वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना यथा स्थिति उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमन्त्रित करने के लिए पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं । टिप्पणी-2.—अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी ।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से कम से कम आठवीं स्तर की परीक्षा पास की होनी चाहिए । अथवा 1. सेना का प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र रखते हों । (2) गृह रक्षा संगठन में जिसने सम्मानिक हवलदार अनुदेशक या उससे ऊंचे पद पर कार्य किया हो तथा इस रूप में पिछले तीन वर्ष से लगातार कार्यरत है । अथवा सेना में कम से कम तीन वर्ष हवलदार के पद पर कार्य किया है । वांछनीय अर्हताएं : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से दसवीं पास या इसके समकक्ष श्रेणी का प्रमाण-पत्र रखता हो । (2) हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञा

	और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों म और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानें वाली रिक्तियों की प्रतिशतता;	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।	लागू नहीं ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति जैसी सरकार द्वारा समय-समय विद्यमान हो, तो उसकी संरचना	पर गठित की जाएगी ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए : (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी, जो एक जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया है ; (ङ) भारतीय मल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया यगान्डा, यूनाइटिड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मालवी, जेयरे और इथोपिया से, भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है : परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।
	ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकेगा । किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही दिया जाएगा ।
15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए चयन ।	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । जिसका स्तर/पाठ्य-क्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित-जातियों/पिछड़ वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेश के अधीन होगी ।
17. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि एसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग क परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमो के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

[*Authoritative English text of notification No. Home-II (B) 2-3/81, dated 15-2-1989as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 15th February, 1989

No. Home-II (B) 2-3/81.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion

Rules for the post of Havildar Instructor/Quarter Master Havilcar in the Department of Home Guards, Civil Defence and Fire Services, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Home Guards, Civil Defence and Fire Services Department Havilcar Instructor/Quarter Master Havilcar Recruitment and Promotion Rules, 1988.

(*ii*) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Rules.*—The number of posts, classification pay scale, qualification and method of recruitment etc. for the post of Havildar Instructor/Quarter Master Havildar shall be specified in the Annexure "A".

3. *Repeal and Savings.*—The Recruitment and Promotion Rules for the post of Havildar Instructor/Quarter Master Havildar notified by this Department notification No. 17-4/66-Home, dated the 20th January, 1971 are hereby repealed :

Provided that such repeal shall not effect the previous operation of the aforesaid rules or any appointment made or any action taken thereunder.

ANNEXURE—A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HAVILDAR INSTRUCTOR/QUARTER-MASTER HAVIDARS IN THE HOME GUARDS AND CIVIL DEFENCE DEPARTMENT OF H.P.

1. Name of the post	Havilcar Instructor/Quarter-master Havilcar.
2. Number of posts	56.
3. Scale of Pay	Rs. 450-15-525/15-600/20-700
4. Classification	Class-III (Non-ministerial).
5. Whether selection post or non-selection posts.	Non-selection
6. Age for direct recruits.	18 to 50 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled scheduled tribes/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorptions in Public sector corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/ autonomous bodies and are/ were finally absorbed in the service of such corporations/ autonomous bodies after initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

Note-1.—Age limit for direct recruits will be reckoned on the first day of the year in which the posts are advertised for inviting applications or notified to employment exchanges as the case may be.

Note-2.—Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

Essential Qualifications :

(*i*) Should have passed atleast Matriculation examination from a recognised University/Board of School Education or its equivalent;

OR

Should passess Army Special Certificate.

(*ii*) Should be holding Honorary rank of Platoon Commander or above in the H.P. Home Guards Organisation and continuous service as such for the last three years;

OR

Should be a serving Havildar Instructor/Quartermaster Havildar in the Home Guards Department for atleast 3 years.

OR

Should be a Released/Retired Officer of the Indian Army who has hold the rank of Naib Subedar or above with atleast 3 years service as such.

Desirable qualifications:

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications — Age: No

prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Essential qualifications as shown in Col. 7 (i).
9. Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	25% by promotion and 75% by direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer is to be made.	By promotion from amongst Havildar Instructors/Quartermaster Havildars working in the scale of Rs. 450—700 possessing the essential qualification as prescribed for direct recruits with atleast 3 years regular or *ad hoc* (rendered upto 31-12-1983) service or both, as such. *Note.*—In all cases of promotion ad hoc service rendered in the feeder post upto 31-12-1983, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition; (*a*) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post, in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category of post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the filled of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. (*b*) Similarly in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the post upto 31-12-1983, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service: Provided that the interese seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service shall remain unchanged. (*c*) *Ad hoc* service rendered after 31-12-983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes. *Note*-2—Provisions of Rules 10 and 11 a.e to be revised by the Government in consultation with the commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.
Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law. *Note.*—Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government, from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
16. Essential requirement for direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be:— (*a*) a citizen of India, or (*b*) a subject of Nepal, or (*c*) a subject of Bhutan, or (*d*) a Tibetan refugee who come over to India before the 1st Junuary, 1962 with the intention of permanently settling in India; or (*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakshtan, Burma, Shri-Lanka, East African countries or Kenya, Uganda the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zangibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India: Provided that a condidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a

certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment. — Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient, by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be,

16. Reservation — The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other categories of persons issued by the Government from time to time.

17. Power to relax — Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, if may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

शिमला-171001, 17 फरवरी, 1989

संख्या होम(बी)(ई) 2-2180-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश महा अधिवक्ता विभाग, में इस अधिसूचना से संलग्न उपबन्धन-1 के अनुसार [सहायक महाधिवक्ता (ग्रेड-1 राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में सहायक महाधिवक्ता (वर्ग-1, राजपत्रित) पद, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1989 है ।

(II) यह नियम इस अधिसूचना के जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति :—

महाधिवक्ता विभाग, हिमाचल प्रदेश के पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति ऐसी होगी जैसे उपाबन्ध-1 में दर्शाई गई है ।

3. निरसन और व्यावृति.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या गृह-II(बी) 2-1180, तारीख 6 फरवरी, 1981 द्वारा अधिसूचित सहायक महाधिवक्ता पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं, परन्तु ऐसे निरसन से, कथित नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उन के तद्धीन की गई किसी बात या कार्यवाही पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उपाबन्ध-1

महाधिवक्ता विभाग, हिमाचल प्रदेश में सहायक महाधिवक्ता के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम	सहायक महाधिवक्ता
2.	पदों की संख्या	चार (4)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-1 (राजपत्रित)
4.	वेतनमान	2000—2300 रुपये
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	45 वर्ष या इस से कम:

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किये गय पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकतम हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतनी ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा । जिन्हें कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुमत है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जावेगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किय गय थे/किए गए हैं और उन पब्लिक

	सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं/किये गये थे ।	
	टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन से की जायगी जिसमें आवेदन आमन्त्रित करने के लिए पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किये जाते हैं ।	
	टिप्पणी-2.—अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी ।	
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	अनिवार्य :	
	(1) भारतवर्ष में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्यावसायिक (प्रोफैशनल) उपाधि अथवा इसके समतुल्य ।	
	(2) अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष का विधि व्यवसाय हो या जिला अटार्नी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उप-धारा (5) में विहित अर्हताएं रखता हो ।	
	(3) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो ।	
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं ।	आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	
9. परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिस का एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा समक्ष प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।	
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	50 प्रतिशत प्रान्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिन से प्रोन्नति, प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।	प्रोन्नति द्वारा उन सेवारत विधि अधिकारियों में से जिन का महाधि-वक्ता कार्यालय में सात वर्ष का नियमित अथवा तदर्थ सेवा (31-12-1983 तक की गई सेवा) को मिला कर यदि कोई हो, ग्रेड में उक्त नियमित सेवाकाल हो ।	टिप्पणी:—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जायेगी:— (क) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ट व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल कर के) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किया जाना का पात्र हो जाता है, वहां उस से वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से पर रखे जायेंगे : परन्तु उन सभी पदाधिकारियों को, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम 3 वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी : परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक को अपेक्षताओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उस के कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा । (ख) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जायेगी : परन्तु स्थायीकरण के परिणाम स्वरूप, तदर्थ सेवा की गणना में ले कर पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी । (ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा, प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं ली जायेगी। टिप्पणी:—2 जब कभी नियम 2 के अधीन पदों में बढ़ौतरी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा, लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किये जायेंगे ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।	अध्यक्षता, अध्यक्ष, हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जायेगी।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए :— (क) भारत का नागरिक या, (ख) नेपाल की प्रजा या, (ग) भूटान की प्रजा या, (घ) तिब्बती शर्णार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवासी के आशय से आया हो। (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका पूर्वी, अफ्रिका के देशों या किनिया, युगांडा, युनाईटेड रिपब्लिक आफ तनजानिया- (पहले तनजानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मालवा, जेयर क और इथोपिया से, भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है : परन्तु प्रवर्ग (ख), '(ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता माण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही दिया जायेगा।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति क लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिस का स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों। पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अधीन होगी।
17. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।
18. विभागीय परीक्षा	(1) सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम 1976 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी अन्यथा वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा :— (I) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए, (II) परीविक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भी स्थाईकरण के लिए, और (III) अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए : परन्तु उस अधिकारी को जिसने इन नियमों के अधिसूचित किये जाने से पूर्व किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतया या अन्ततः विभागीय परीक्षा पारित की है, यथास्थिति पूर्णतः या अन्ततः पारित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी : परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी से जिसके कि इन नियमों के अधिसूचित किये जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और इस में 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी : परन्तु यह भी कि ऐसे अधिकारी को जिस के लिए इन नियमों के अधिसूचित किये जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी उसने 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी :— (I) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए, और (II) परीविक्षा अवधि प्राप्त होने के पश्चात् स्थाईकरण क लिए। किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागी।

परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि उसने निरन्तर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पारित कर ली है ।

सरकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतया या भागतः छूट प्रदान कर सकेगी, परन्तु यह तब जबकि ऐसे अधिकारी पर उसकी अधिव्योता की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किसी अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भाव्य न हो ।

[*Authoritative English Text of this Government Notification No. Home (B)(E) 2-3/80, dated 17-2-1989 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India is hereby published*].

Shimla-171 002, the 17th February, 1989

No. Home (B)(E) 2-3/80.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Advocate-General (Class-I Gazetted) in the Department of Advocate-General, State of Himachal Pradesh as per Annexure-I attached to this Notification, namely:—

1. *Short title and commencement*:—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Assistant Advocate-General (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1989.

(*ii*) These shall come into force from the date of issue of this Notification.

2. *Rules*:—The number of potsts, classification, pay-scale, qualifications and method of recruitment etc. for the post of Assistant Advocate-General, shall be as specified in the Annexure-I.

3. *Repeal and savings*.—The Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Advocate-General notified by this Department Notification No. Home-II (B) 2-1/80, dated 6-2-1981 are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not effect the previous operation of the aforesaid rules or anything done or any action taken thereunder.

ANNEXURE I

Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Advocate-General (Class-I) in the Department of Home (Office of the Advocate-General, State of Himachal Pradesh)

1.	Name of the post	Assistant Advocate-General
2.	Number of posts	Four (4)
3.	Classification	Class-I (Gazetted)
4.	Scale of pay	Rs. 2000—2300
5.	Whether selection or non-selection post.	Selection
6.	Age for direct recruitment	45 years or below :

Provided that the upper age limits for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of person to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in the public sector Corporation Autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporation/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporation / Autonomous bodies after initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

Note-1.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

Note-2.—Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of the candidate is otherwise well qualified.

7.	Minimum educational and other qulifications required for direct recruitment.	*Essential*:—(*i*) Professional Degree in Law from a recognised University in India or its equivalent.

(*ii*) Seven years practice as an Advocate or a District

		Attorney fulfilling the qualifications prescribed in sub-section (5) of Section 24 of Code of Criminal Procedure.
		Desirable Qualifications :
		Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Age : No E.Q. Yes
9.	Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	50% by promotion, and 50% by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/ transfer is to be made.	By promotion from amongst the Law Officers having at least 7 years regular service or regular service combined with *ad hoc* (rendered upto 31-12-1983, if any, in the office of Advocate General, H.P.) service in the grade. *Note*.—In all cases of promotion *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-12-1983, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition :— (*a*) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration : Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less : Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. (*b*) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the post upto 31-12-1983 if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service : Provided that the inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service shall remain unchanged. (*c*) *Ad hoc* service rendered after 31-12-1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes. *Note-2*.—Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	To be presided by the the Chairman, H. P. Public Service Commission or a Member thereto, to be nominated by him.
13.	Circumstances under which the H.P. P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14.	Essential requirement for a direct recruit.	A candidate for appointment to any service or post must be :— (*a*) A citizen of India, or (*b*) A subject of Nepal, or (*c*) A subject of Bhutan, or (*d*) A Tibetan refugee who crossed over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India. (*e*) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwa Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govt. of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment: Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test ; and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or a practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the services for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classess or other categories of persons issued by the H. P. Government from time to time.

17. Power to relax Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

18. Departmental Examination. (1) Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:—

(*i*) Cross the efficiency bar next due,

(*ii*) Confirmation in the service even after completion of probationary period, and

(*iii*) Promotion to the next higher post:

Provided that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these rules, shall not be required to qualify the whole or in part, of the examination as the case may be:

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the Ist March, 1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules :

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who had not attained the age of 45 years on 1-3-1976, shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules after attaining the age of 50 years for the purposes of (*i*) Crossing the efficiency bar next due and (*ii*) Confirmation in the service after completion of probationery period.

(2) An officer on promotion to the higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(3) The Government may in consultation with the H. P. Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for the reasons to be reduced to writing, exemption in accordance with the Departmental Examination Rules, to any class or category of persons from the departmental examination in whole or in part provided the such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

By order.
KANWAR SHAMSHER SINGH,
Commissioner-cum-Secretary (Home).

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 16 जनवरी, 1989

संख्या स्वा0 क(3)-5187.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 क परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में

वर्ग-2 (राजपत्रित) ज्येष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ) के पद के लिए निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग वर्ग-2 सेवा (ज्येष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक) पद भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम.—ज्येष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ) के पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हतायें और भर्ती की पद्धति ऐसी होगी जैसे उपाबन्ध "अ" में विनिर्दिष्ट है ।

उपाबन्ध "अ"

भारतीय हिमाचल चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग, हिमाचल प्रदेश में ज्येष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम	ज्येष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ) ।
2.	पदों की संख्या	छः (6)
3.	वेतनमान	रुपये 825-25-850-30-1000। 40-1200-50-1400-60-1700.
4.	वर्गीकरण	वर्ग-2 (राजपत्रित)
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	35 वर्ष और इससे कम परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति किये गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकवय हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशप आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों क सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों क आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृद को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा बाद में नियुक्त किये गये थे/किए गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गए हैं/किये गए थे । टिप्पणी-1.— सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना यथास्थिति उस वर्ष के प्रथम दिन से की जायेगी जिस में आवेदन आमन्त्रित करने के लिए पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किये जाते हैं । टिप्पणी-2.— अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्हताएं आयोग क विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।
7.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	अनिवार्य 1. सी. सी. आई. एम. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम से कम तीन वर्ष की अवधि की कायाचिकित्सा या बालरोग या प्रसूतितन्त्र या शल्यशालक्य में एम0 डी0 (आयुर्वेद) । 2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का क्लीनिकल अनुभव। वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आय और शक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु नहीं शक्षिक अर्हताएं हां
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि, कोई हो ।	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता :	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा ।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों में से जिनका इस रूप मे कम से कम 5 वर्ष का, नियमित या तदर्थ सेवा

प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	(31-12-1983 तक की गई) को सम्मिलित करके नियमित सेवा काल हो प्रोन्नति द्वारा। उन पदाधिकारियों में से, जो राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के विभागों में समतुल्य पद पर सेवारत हों और स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं रखते हों, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा। टिप्पणी-1—: प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी। (क) उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-12-83) तक की तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जान के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ट यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी : परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उस से कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा। (ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी : परन्तु स्थायीकरण के परिणाम तदर्थ सेवा को गणना में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी। (ग) 31-12-1983 के पश्चात, की गई तदर्थ सेवा प्रोन्नति स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं ली जायेगी।	टिप्पणी-2. जब कभी नियम 2 के अधीन पदों में बढ़ोतरी या कमी होती है तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किये जायेंगे।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।	जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाएगी।
13 भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवाआयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवश्यक होना चाहिए :— (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, यूगांडा, यूनाइटिड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तंजानिका और जंजीबार) जांबिया, मालवा जेयरे के और इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है : परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा साक्षात्कार प्रविष्ट किया जा सकेगा किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव पात्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश यथा स्थिति लोक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति आयोग अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएग।

16. आरक्षण — उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा — 1. सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर तथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1976 में तथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा वह निम्नलिखित के पात्र नहीं होगा।

(1) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए ;
(2) परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात स्थायीकरण के लिए, और
(3) अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए :

परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतः/अंशतः विभागीय परीक्षा पारित की है। यथास्थिति पूर्णत या अंश परीक्षा पारित करने की नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी उसे 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

(1) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए, और

(2) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद स्थाईकरण के लिए

2. किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पास कर ली है।

3. सरकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से असाधारण परिस्थितियों में और कारणों की अभिलिखित करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट मंजूर कर सकेगी, परन्तु यह तब तक जब कि ऐसे अधिकारी पर उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किसी अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भाव्य न हो।

18. शिथिल करने की शक्ति — जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को, किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of this Government Notification No. Health-A (3) 5/87, dated 16-2-1989 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

Shimla-2, the 16th February, 1989

No. Health-A(3)5/87.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Ayurvedic Chikitsak (Specialist) (Class-II-Gazetted) in the Department of Indian System of medicine & Homeopathy, Himachal Pradesh, as under, namely :—

1. *Short title and commencement.*—*(i)* These Rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, Class-II service (Senior Ayurvedic Chikitsak) Recruitment and Promotion Rules, 1988.

(ii) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Rules.*—The number of posts, classification, pay scale, educational qualifications and method of recruitment etc. for the post of Senior Ayurvedic Chikitsak (Specialist) shall be as specified in Annexure-A.

ANNEXURE—A

Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Ayurvedic Chikitsak (Specialist) in the Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, Himachal Pradesh.

1.	Name of the post	Senior Ayurvedic Chikitsak (Specialist).
2.	Number of posts.	Six. (6)
3.	Classification.	Class-II (Gazetted)
4.	Scale of pay	Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1700.
5.	Whether selection post or non-selection.	Selection
6.	Age for direct recruitment.	35 years and below:

	Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become over age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled castes/scheduled tribes/other categories of person to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in the public sector corporations / autonomous bodies, at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/ autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations / autonomous bodies after initial constitution of the public sector corporations / autonomous bodies. *Note*-1.—Age limit for direct recruits will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be. *Note*-2.—Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of the candidate is otherwise well qualified.	
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.	*Essential qualifications* : (*i*) M.D. (Ayurveda) of at least 3 (three) years duration in Kayachikitsa or Balroga or Prasuti Tantra or Shalya-Shalakya from an Institution recognised by C.C.I.M./Government of Himachal Pradesh. (*ii*) Five years clinical experience in a Government/recognised Institutions as Ayurvedic Chikitsa Adhikari. *Desirable qualifications* : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.	
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		Age: No Educational qualification: Yes
9. Period of probation, if any.		Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.		(*i*) 50% by promotion, (*ii*) 50% by direct recruitment, and (*iii*) failing both by deputation/transfer.
11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation / transfer is to be made.		By promotion from amongst the Ayurvedic Chikitsa Adhikaris with at least 5 years regular service or regular combined with *ad hoc* service (rendered upto 31-12-1983) as such. By deputation/transfer from amongst the officials who are holding equivalent posts in the State Government/Central Government departments and possess the qualifications prescribed against Column-7, above. *Note*.—In all cases of promotion, *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-12-1983, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions:— (*a*) that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post, in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category post/

	cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall posses the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. (*b*) Similarly in cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the post upto 31-12-1983, if any, prior to regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service: Provided that the *inter se*-seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service shall remain unchanged. (*c*) *Ad hoc* service rendered upto 31-12-1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes. *Note*.—Provisions of Col. 10 and 11 are to be revised by the Government in cosultation with the Commission as and when the number of posts under Col. 2 are increased or decreased.	
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.	
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.	
14. Essential Requirements for direct recruits.	A candidate for appointment to any service or post must be,— (*a*) A citizen of India, or (*b*) a subject of Nepal, or (*c*) a subject of Bhutan, or (*d*) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or (*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, & formerly Tanganyka and Zanzibar, Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India: Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligiblity has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by H.P. Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only ater the necessary eligiblity cerftificate has been issued to him by the Government of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.	Selection for appointment to to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test. if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other reruiting authority, as the case mae be, so consider necessary or expedient byt a written test or apractica test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by Commission/other recruiting authority as the case may be.
16. Reservation.	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled caste/ scheduled tribes/ backward classes other categories of persons issued by the H.P. Government from time to time.
17. Departmental examinations.	(1) Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:— (*i*) cross the efficieny bar next due, (*ii*) confirmation in the service even after the completion of probationary period, and (*iii*) promotion to the next higher post: Provided that an officer who has qualifed the departmental Examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these rules shall not be required to qualify the whole

or in part of the examination as the case may be:

Provided further that an officer for whom no departmental Examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on 1st March, 1976 shall not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under these rules:

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification to these rules and who had not attained the age of 45 years on 1-3-1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules after attaining the age of 50 years for the purposes of (*i*) crossing of efficiency bar next due and (*ii*) confirmation in the service after completion of probationary period.

(2) An officer on promotion to the higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(3) The Government may in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission grant in exceptional circumstances and for the reasons to be recorded in writing, exemption in accordance with the Departmental Examination Rules, to any class or category of persons from the departmental examination in whole or in part provided the such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

18. Power to relax — Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

By order,
AJAY PRASAD,
Commissioner-cum-Secretary.

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri Pritam Singh, Sub Judge 1st Class, Jogindernagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of:

Civil Suit No. 65/88

Smt. Mathri d/o Shri Ghesu, Caste Dhogri, r/o Village Jalpehar, Illaqua Jeetpur, Tehsil Jogindernagar, District Mandi ..Plaintiff.

Versus

1. Shri Sarnu, 2. Surju ss/o Shri Ghesu, 3. Smt. Jayati 4. Murtu ds/o Shri Ghesu, Caste Dhogri, r/o village Jalpehar, Tehsil Jogindernagar, District Mandi ..Defendants.

Suit for partition and Mandatory injunction.

To

2. Shri Surju s/o Shri Ghesu, r/o Village Jalpehar,
4. Smt. Murtu w/o Shri Dagi, r/o Village Mayot, P. O. Barot, Tehsil Jogindernagar, District Mandi.

Whereas in the above-noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that service upon the above noted defendants No. 2 and 4 are not possible by an ordinary mode of service. Hence, this proclamation under order 5, rule 20 C. P. C. is hereby issued against the above-noted defendants to appear before this court on 7-3-89 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case failing which case will be heard *ex parte*.

Given under my hand and seal of the court today the 13th February, 1989.

Seal.

PRITAM SINGH,
Sub Judge 1st Class, Jogindernagar, District Mandi.

Application under Order 5, rule 20 ,C. P. C.

In the Court of Shri J. L. Chauhan, Sub Judge 1st Class, Rohru, District Shimla (H. P.)

Case No. 184-1 of 1988

In re.

Shri Krishan Sain s/o Shri Sodhi Ram, r/o Village Masli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H. P.) ..Plaintiff.

Versus

Shri Ramesh Kumar, Prop. Kala Fruit Company, (K. F. C.) Subzi Mandi Chhipitola, Agra (U.P.) ..Defendant.

Suit for recovery of Rs. 5204.00.

Whereas in the above-noted case it has been proved to the satisfaction of this court that the above-noted defendant can not be served through ordinary process of

service. Summons issued to him has been received back un-served.

Hence this proclamation under order 5, rule 20 C. P. C. is hereby issued against the above-noted defendant to appear before this court on 9-3-89 at 10 A. M. personally or through authorised agent or pleader to defend the case, failing which the above-noted defendant shall be proceeded against *exparte*.

Given under my hand and the seal of this court today the 21st day of January, 1989.

Seal.

J. L. CHAUHAN,
Sub Judge 1st Class,
Rohru, District Shimla.

In the Court of Shri D. S. Khenal, Sub-Divisional Judicial Magistrate Sarkaghat, District Mandi, H.P.

In the matter of:—Execution petition No. 28-10-88

Parwati w/o Budhi Singh, r/o Sakoh Illaqua Kamlah, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh
.. D. H.

Versus

Budhi Singh s/o Kishan, r/o Sakoh at present working as Inkerman, Government Press, Patiala, Punjab ..J. D,

Whereas in the above-noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named Budhi Singh J. D. not be served in the ordinary course of service as he is evading the service of notice issued to him.

Hence this proclamation is issued to him to appear before this court on 14-3-89 at 10 A. M. personally or through pleader or authorised agent to defend the petition failing which the same will be decided *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the court today the 17th February, 1989.

Seal.

D. S. KHENAL,
Sub-Divisional Judicial Magistrate,
Sarkaghat, District Mandi.

व अदालत श्री श्रीकांत वालडी, कुलैक्टर, सब-डिवीजन घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

राम प्रकाश पुत्र खजाना राम, ग्राम दकड़ी परगना तियून तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

1. राम धन पुत्र खजाना राम, ग्राम दकड़ी, परगना तियून, 2. तुलसी राम पुत्र नानकू, ग्राम दकड़ी, परगना तियून, 3. मन्तोखी बेवा खजाना, ग्राम दकड़ी, परगना तियून, 4. रामा नन्द पुत्र चन्दू, ग्राम घुमारवीं बाजार, परगना तियून, 5. गीता राम पुत्र चन्दू, ग्राम घुमारवीं बाजार, परगना तियून, 6. राम रत्न पुत्र चन्दू, ग्राम घुमारवीं, बाजार, परगना तियून, 7. कमल शर्मा पुत्र चन्दू, ग्राम घुमारवीं बाजार, परगना तियून, 8. अनंत शर्मा पुत्र चन्दू ग्राम घुमारवीं, बाजार, परगना तियून, 9. प्रकाश चन्द पुत्र चूहड़ू, ग्राम मटवाना, परगना तियून, 10. बृज लाल पुत्र चूहड़, ग्राम मटबाना, परगना तियून, 11. राम चन्द पुत्र किरलु, ग्राम मेन बाजार घुमारवीं, 12. प्रभू 13. कृष्ण पुत्र हरिया, ग्राम बनौल हाल आबाद दकड़ी, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, 14. सुरेन्द्र पाल पुत्र भण्डारी सरीन, ग्राम डियारा सैक्टर एन0 बी0 टी0 बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, 15. शकरी विधवा नत्थू राम, ग्राम कुलाहरू, परगना तियून, 16. जोगिन्द्र पाल पुत्र नत्थू राम, ग्राम कुलाहरू, परगना तियून, 17. देव राज पुत्र नत्थू राम, ग्राम कुलाहरू, परगना तियून, 18. प्यारे लाल पुत्र नत्थू राम, ग्राम कुलाहरू, परगना तियून, 19. रूप लाल पुत्र नत्थू राम भुवाना, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, 20. कौशल्या देवी पुत्री नत्थू पत्नि बली राम, ग्राम नैण, परगना तियून, 21. निको देवी पुत्री नत्थू पत्नी प्रेम लाल, ग्राम रंडोह परगना तियून, 22. ऊमा देवी पुत्री नत्थू पत्नी जगदीश, ग्राम बाड़ी, परगना तियून, 23. ब्रह्मी देवी पुत्री नत्थू पत्नी कृष्ण दयाल, ग्राम जगात खाना, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, 24. श्रीमती वन्ती उर्फ लीला देवी पुत्री नत्थु पत्नी लाला, ग्राम जवली (डुगा डोरा) परगना सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . (रिस्पोंडैंटस) ।

अपील जेर धारा 14 भू-राजस्व अधिनियम हिमाचल प्रदेश ।

हरगाह उपरोक्ता मुकदमा उनवान बाला में रिस्पोंडैंटस नं0 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ता 20 व 22, 24 के नाम इस अदालत से कई बार समन जारी किये गए मगर उन पर तामील असालतन नहीं हो रही है और न ही उपरोक्त फरीकदोयम अदालत में हाजर हो रहे हैं । अदालत को यकीन हो चुका है कि उपरोक्त रिस्पोंडैंटस के ऊपर साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है । अतः रिस्पोंडैंटस नं0 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ता 20 व 22, 24 को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर आपको उपरोक्त अपील के द्वारा कोई उजर-एतराज हो तो दिनाक 13-3-89 को या उससे पूर्व इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजर होवें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी और तारीख पेशी के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी ।

आज दिनांक 13-2-89 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

श्रीकांत वालडी,
मोहर । कुलैक्टर, सब-डिवीजन, घुमारवीं,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

व अदालत जनाब श्रीकांत वालडी, कुलैक्टर, सब-डिवीजन घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

मि0 नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
59/2.	10-9-85.	13-3-89.

तुलसी पुत्र गंगा, ग्राम कुड़साये (बरोटा), परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ।

बनाम

पोहलो पुत्र श्यामा, ग्राम कुड़साये (बरोटा), परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) वगैरा ।

अपील जेर धारा 14 H. P. Land Revenue Act

मुकदमा मुन्दर्जा उनवान बाला में रिस्पोंडैंटस सर्व श्रीमती कृष्णी देवी विधवा जुलफी राम, योग राज पुत्र जुलफी राम, ग्राम कुड़साये, परगना अजमेरपुर, विशन देवी पत्नी रत्न चन्द, साकन बाड़ा-दा-घाट, लता देवी पुत्री जुल्फी राम बजरिया भाई योग राज पुत्र जुल्फी राम, ग्राम कुड़साये (बरोट), परगना अजमेरपुर, ब्रहम दास पुत्र रामा, सन्तोखा पुत्र जौहरी, ग्राम कुड़साये सत्या देवी पत्नी गिरधारी लाल, ग्राम डडोहग तहसील सदर, जिला बिलासपुर, चेत राम पुत्र विशनू, ग्राम दगवाण, परगना अजमेरपुर, पत्नी देवी पुत्री विशनू, ग्राम समलाह, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम इस अदालत से कई बार समन जारी किये गए मगर वह हाजर अदालत नहीं होते हैं । अदालत को यकीन हो चुका है कि उपरोक्त रिस्पोंडैंटस के ऊपर साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकता है । अतः रिस्पोंडैंटस सर्व श्रीमती कृष्णी देवी विधवा जुल्फी राम, योग राज पुत्र जुलफी राम, ग्राम कुड़साये परगना अजमेरपुर, विशनी चन्द पत्नी रत्न चन्द, ग्राम बाड़ा-दा-घाट

लता देवी पुत्री जुलफी राम बजरिया भाई योग राज पुत्र जुलफी राम, ग्राम कुड़साये (बरोटा), परगना अजमेरपुर, ब्रहमदास पुत्र रामा सन्तोखा पुत्र जौहरी, ग्राम कुड़साये, परगना अजमेरपुर, सत्या देवी पत्नी गिरधारी लाल, ग्राम डडोहग, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, चेत राम पुत्र विशनु, ग्राम ढंगवाण, परगना अजमेरपुर, रत्नी देवी पुत्री विशनु, ग्राम समलाह, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर आपको उपरोक्त अपील के द्वारा कोई उजर-एतराज हो तो दिनांक 13-3-89 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजर अदालत आवें । तारीख पेशी के बाद कोई सुनाई नहीं होगी ।

आज दिनांक . . . . . को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

श्रीकान्त वालड़ी,
कुलैक्टर, सब-डिवीजन, घुमारवीं,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

अदालती इश्तहार

व अदालत जनाब श्रीकान्त वालडी कुलैक्टर
सब-डिवीजन घुमारवीं, जिला बिलासपुर, (हि० प्र०)

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख पेशी
58/2 आफ 85.	18-9-85.	13-3-1989.

तुलसी पुत्र गंगा व अन्य 40 करा अपीलांट, ग्राम कुड़साई (बरोटा), परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

रूप लाल पुत्र चन्दू, ग्राम कुड़साये (बरोटा), तहसील घुमारवीं, . . अपीलांट ।

अपील जेर धारा 14 हिमाचल प्रदेश लैंड रैवेन्यू ऐक्ट ।

मुकद्दमा मुन्दर्जा बाला में रिस्पोंडैंट सर्वश्री रूप लाल, मिलखी पुत्र चन्दू, श्रीमती ब्रहमा पुत्री चन्दू, कृष्णी देवी विधवा जुलफी राम, योग राज पुत्र जुलफी राम, लता देवी पुत्री जुलफी राम नाबालग बजरिया भाई योग राज, ग्राम कुड़साये परगना अजमेरपुर, कलासो पुत्री चन्दू पत्नी नरैण, ग्राम जोल, परगना अजमेरपुर, विशन दास पुत्र रामा, सन्तोखा पुत्र जौहरी, विद्या देवी पत्नी राम नाथ, ग्राम दमेहड़ा, परगना अजमेरपुर, सत्या देवी पत्नी गिरधारी लाल, ग्राम डडोहग, चेत राम पुत्र विशनु, ग्राम ढुंगवाण रत्नी देवी पुत्री विशनु, ग्राम समलाह, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम समन जारी किये गये मगर वह हाजर अदालत नहीं होते । अदालत को यकीन हो चुका है कि उपरोक्त रिस्पोंडैंटस के ऊपर साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है । अतः रिस्पोंडैंटस सर्वश्री रूप लाल, मिलखी पुत्र चन्दू, श्रीमती ब्रहमा पुत्री चन्दू, कृष्णी देवी विधवा जुलफी राम, योग राज पुत्र जुलफी राम, लता देवी पुत्री जुलफी राम नाबालग वली बजरिया भाई योग राज पुत्र जुलफी राम, ग्राम कुड़साये, परगना अजमेरपुर, कलासो पुत्री चन्दू पत्नी नरैण, ग्राम जोल, परगना अजमेरपुर, विशन दास पुत्र रामा, सन्तोखा पुत्र जौहरी, ग्राम कुड़साये, परगना अजमेरपुर, विद्या देवी पत्नी राम नाथ, ग्राम दमेहड़ा, परगना अजमेरपुर, सत्या देवी पत्नी गिरधारी लाल, ग्राम डडोहग, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, चेत राम पुत्र विशनु, ग्राम ढूंगवाहण परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, रत्नी देवी पुत्री विशनु, ग्राम समलाह, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर आपको उपरोक्त अपील के बारे उजर/एतराज हो तो दिनांक 13-3-1989 को या उसके पूर्व असालतन व वकालतन इस अदालत मे हाजिर होकर पैरवी कर सकते हैं ।

आज दिनांक 8-2-89 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

श्रीकान्त वालड़ी, कुलैक्टर,
सब-डिवीजन घुमारवीं, जिला बिलासपुर, ।

बअदालत जनाब श्रीकांत वालड़ी, कुलैक्टर सब-डीवीजन, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख पेशी
69/2.	22-8-88.	13-3-1989.

मोहण, राम सिंह पुत्र लाभा राम, ग्राम मन्डयार, परगना सुनाहणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ।

बनाम

1. चेत राम
2. जिवा राम
3. दुर्गा राम
4. लेख राम
5. कांशी राम
6. प्रेम लाल

पुत्रान वजीरू, ग्राम मन्डयार, परगना सुनाहणी, तहसील घुमारवीं ।

7. खिलो

पुत्री वजीरू, ग्राम मन्डयार, परगना सुनाहणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ।

अपील जेर धारा 14 भू-राजस्व अधिनियम (हि० प्र०)

हरगाह उपरोक्त उनवान बाला अपील में रिस्पोंडैंटस नं० 2 ता 5 व 7 के नाम इस अदालत से कई बार समन जारी किये गये मगर उन पर तामील असालतन नहीं हो रही है और न ही वह अदालत में हाजर हो रहे हैं अदालत को यह यकीन हो चुका है कि उनकी तामील साधारण तौर पर नहीं हो सकती है । अतः उपरोक्त प्रोकदीयम नम्बर 2 ता 5 व 7 को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर आपको उपरोक्त अपील के बारे कोई उजर-एतराज हो तो वह तिथि 13-3-89 को या उससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजर हो सकते है अन्यथा गर हाजरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी । तारीख पेशी के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी ।

आज दिनांक 13-2-89 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

श्रीकान्त वालड़ी,
कुलैक्टर सब-डिवीजन घुमारवीं,
जिला बिलासपुर ।

इश्तहार

ब अदालत श्री आर० एस० गुप्ता, कुलैक्टर, सब-डीवीजन, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं०— 1/10 तारीख दायरा—16-1-89.

श्रीमती मुन्ना विधवा श्री हरनाम सिंह, निवासी हाउस नं०—61, वार्ड नं० 1 हरबर्टपुर, तहसील व जिला देहरादून (यू० पी०) । . . प्रार्थी ।

बनाम

श्री मेहर सिंह पुत्र श्री काहन सिंह, निवासी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश आदि . . प्रतिवादी ।

रिवीजन पैटीशन अन्डर सैक्शन 17 आफ हिमाचल प्रदेश लैण्ड रैवेन्यू ऐक्ट ।

नोटिस बनाम:—

1. श्री कुरा राम पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, 2. श्रीमती भोली बरगीस पत्नी श्री सी० बरगीस, निवासी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 सर्वश्री कुरा राम व श्रीमती भोली बरगीस को कई बार समन किये गये परन्तु इनकी तामील नहीं हो सकी । जिससे अदालत हजा को पूर्ण

विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी पर साधारण तरीका से तामील नहीं हो सकती। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार जेर धारा 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 7-3-89 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत मुकाम पांवटा साहिब में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 9-2-89 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 एस0 गुप्ता,
कुलैक्टर सब-डिवीजन, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0 प्र)।

इश्तहार

ब अदालत श्री आर0 एस0 गुप्ता, कुलैक्टर, सब-डिवीजन पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0–39/10. तारीख दायर– 31-10-88.

बन्दु पुत्र श्री सादिक, निवासी ग्राम मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

असगरी पत्नी श्री सादिक, निवासी ग्राम मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश (6 कम) ..प्रतिवादी।

अपील अण्डर सैक्शन 14 आफ हिमाचल प्रदेश लैण्ड रैवेन्यू ऐक्ट वर खिलाफ हुक्म सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब–इन्तकाल नं0-642, मौजा मोहकमपुर नवादा।

नोटिस बनाम:–

1. श्रीमती नूरजहां पत्नी श्री रोशन, निवासी ग्राम बुहिया, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला, (हरियाणा),
2. श्रीमती मुन्नी पत्नि श्री इरजाक, निवासी तुगलपुर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला (हरियाणा)
3. श्रीमती शाहजहां पत्नी श्री सादिक, निवासी मोहकमपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 सर्व श्रीमती नूरजहां, मुन्नी व शाहजहां को दिये गए पते पर कई बार समन जारी किये गए परन्तु उनकी तामील नहीं हो सकी। जिससे अदालत हजा को पूर्ण यकीन हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी पर साधारण तरीका से तामील नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार जेर धारा 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 7-3-89 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत मुकाम पांवटा में असालतन व वकालतन उपस्थित हो कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 9-2-89 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 एस0 गुप्ता,
कुलैक्टर,
सब-डिवीजन पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार

ब अदालत श्री आर0 एस0 गुप्ता, कुलैक्टर, सब-डिवीजन पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0–2/10. तारीख दायर:–16-1-89.

मोहम्मद जान पुत्र श्री मामु दीन, निवासी ग्राम क्यारदा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

यामीन पुत्र श्री नियाज मोहम्मद, निवासी ग्राम क्यारदा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। ..प्रतिवादी।

रिवीजन पैटीशन अण्डर सैक्शन 17 आफ हिमाचल प्रदेश लैंड रैवेन्यू ऐक्ट।

नोटिस बनाम:–

1. शेरा पुत्र श्री मेलागीर, निवासी क्यारदा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 श्री शेरा पुत्र श्री मेलागीर को दिये गए पते पर कई बार समन जारी किये गये। परन्तु इनकी तामील नहीं हो सकी। जिससे अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी पर साधारण तरीका से तामील नहीं हो सकती। अतः उपरोक्त प्रतिवादी को बजरिये इश्तहार जेर धारा 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 7-3-89 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत मुकाम पांवटा में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-2-89 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 एस0 गुप्ता,
सब-डिवीजन पांवटा, साहिब,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

इश्तहार

बअदालत श्री एस0 के0 वी0 एस0 नेगी, कुलैक्टर, ठियोग जिला शिमला (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा: टैम्पल कमेटी रामपुर बुशैहर

बनाम

शिव राम

बनाम:–श्री शिव राम टैलर मास्टर, सा0 मझौली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, (हि0 प्र0)।

जेर धारा 5, हि0 प्र0 पब्लिक प्रीमाईसिज एक्ट, 1971

उपरोक्त मुकद्दमा मुन्दर्जा बाला में फरीकदोयम श्री शिवराम को कई बार समनात जारी किये गये परन्तु इसकी तामील हस्ब जाब्ता साधारण तरीका से नहीं होनी पाई जाती है जिससे इस अदालत का यह विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त फरीकदोयम की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती व हानी असम्भव है।

अतः फरीकदोयम उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अमालतन व वकालतन मिति 8-3-89 को इस अदालत में समय 10 बजे सुबह उपस्थित आवें। वरना एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31-12-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

एम0 के0 वी0 एन0 नेगी,
कुलैक्टर,
ठियोग सब-डिवीजन,
जिला शिमला, हि0 प्र0।

मोहर।

न्यायालय श्री बाबू राम शर्मा, उप-रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार, बडोह, जिला कांगड़ा

मुकद्मा नं0 3/1989

श्रीमती सैना देवी विधवा तारा चन्द, जोगिन्द्र, रमेश, राज कुमार, अमीं चन्द, सुभाष चन्द पुत्रान तारा चन्द, निवासी मुहाल पुन्नर, मौजा बलोल, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बावत पंजीकृत किये जाने वसीयतनामा दिनांक 28-11-88 श्री ताराचन्द पुत्र रिझाराम पुत्र खेमदी, निवासी मुहाल पुन्नर, मौजा बलोल, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा मृतक जेर धारा 40/41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि साईला श्रीमती सैना देवी विधवा तारा चन्द, निवासी महाल पुन्नर, मौजा बलोल, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके स्वर्गीय पति श्री तारा चन्द पुत्र रिझा राम ने एक वसीयतनामा दिनांक 28-11-88 को बहक अपने लड़के श्री जोगिन्द्र, रमेश, राजकुमार, अमीं चन्द, सुभाष चन्द पुत्र खुद व धर्मपत्नी सैना देवी, मृत्यु से पहले तहरीर करवाया है जिसे पंजीकृत किया जावे। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वसीयत पंजीकृत करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-3-89 को अमालतन या वकालतन इस अदालत में प्रातः 11 बजे हाजिर हो कर अपना उजरात दाखिल कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी और वसीयतनामा को पंजीकृत किया जावेगा।

नोटिस हजा आज दिनांक 10-2-89 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

बाबू राम शर्मा,
उप-रजिस्ट्रार, बडोह,
जिला कांगड़ा।

बअदालत श्री आर0 एन0 करोल, लैण्ड रिफार्म अधिकारी, हमीरपुर

सुबेदार भगत राम पुत्र गौंरा, गांव बधियाना, तप्पा मझोग, मुलतानी, तहसील व जिला हमीरपुर . . सायल।

बनाम

1. ऊधो राम पुत्र सन्तू, 2. लौंगू पुत्र दयाला, 3. धनो राम, 4. प्यार चन्द पुत्र हरिया, 5. खलैलू, 6. पींजू पुत्र सन्तू, 7. गुल्फी पुत्र गरीबू, वासी बधियाना, तप्पा मझोग मुलतानी, तहसील व जिला हमीरपुर . . मसूलअलैहम।

दरख्वास्त बावत रिजस्ट्रेशन आफ लैण्ड

नोटिस:

उपरोक्त मुकद्मा उनवान में प्रत्यार्थीगण को कई बार समन जारी किए गए परन्तु तामील नहीं हो रहा है। अतः न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रत्यार्थीगण को साधारण तौर पर समन तामील नहीं हो सकते है। अतः प्रत्यार्थीगण को बराये इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 7-3-1989 को अमालतन व वकालतन न्यायालय में हाजिर आवें अन्यथा आपके विरुद्ध बमूजब एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक . . फरवरी, 1989 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर

आर0 एन0 करोल,
लैण्ड रिफार्म अधिकारी,
हमीरपुर (हि0 प्र0)।

व हुक्म जनाब श्री आर0 एन0 करोल, तहसीलदार व अक्ख्यारात सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर

(मुकद्मा नं0 6 आफ 1989)

श्री तरसेम लाल सुपुत्र श्री हुक्म चन्द, वासी रकडियाल, मौजा झनयारा, तहसील व जिला हमीरपुर . . सायल।

बनाम

आम जनता . . मसूलअलैहम।

दरख्वास्त जेर धारा 40/41 बाबत रजिस्टर्ड करने वसीयतनामा मुतवफी श्री दीनू पुत्र श्री दुर्गा, वासी रकडियाल, तप्पा झनयारा, तहसील व जिला हमीरपुर

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय में आम जनता को बजरिया इश्तहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र सूचित किया जाता है कि श्री दीनू पुत्र श्री दुर्गा वासी रकडियाल, मौजा झनयारा, तहसील व जिला हमीरपुर द्वारा तैहरीर शुद्धा वसीयत नामा भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की जेरे धारा 40/41 के अन्तर्गत और वसीयतनामा को पंजीकृत किया जावेगा रजिस्टर्ड होने के लिए इस अदालत में दायर हुई है जिसमें उसकी तमाम जायदाद चल व अचल के वारिस श्री तरसेम लाल होगा। अगर किसी को इस वसीयत को रजिस्टर्ड करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह दनांक 17-3-89 को सुबह 10 बजे अमालतन या वकालतन हाजिर आवे अन्यथा दीगर कार्यवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-2-89 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 एन0 करोल,
तहसीलदार, व अक्ख्यारात
सब- रजिस्ट्रार, हमीरपुर।

व अदालत श्री पी0 सी0 कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बमुकद्मा:

श्री लबू राम पुत्र देवीया, निवासी भगेहड़, इलाका भंगाहल तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री शेर सिंह पुत्र, 2. मु0 जसोधा देवा श्री डोडा पुत्र बरागी 3. रतो पुत्र सुन्दर, निवासी गेहड़, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . फरीकदोयम।

दरख्वास्त सेहत गिरदावरी

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीकदोयम श्री शेरसिंह व रतो को कई बार अदालत हजा मे समन जारी किये जा चुके हैं परन्तु उपरोक्त फरीकदोयम कहीं अज्ञात स्थान में रहना पाये जाते हैं। जिस कारण समन की तामील नहीं हो रही है। अतः अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम पर आसान तरीके से समन की तामील होना असंभव है।

अतः फरीकदोयम सर्वश्री शेरसिंह व रतो को बजरिया इश्तहार जेर आर्डर 5, नियम 20, सी0 पी0 सी0 सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 21-3-89 को प्रातः दस बजे असालतन व वकालतन अदालत हजा में हाजर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-2-89 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। पी0सी0 कपूर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0

व अदालत श्री पी0 सी0 कपूर, तहसीलदार व सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री हरिया पुत्र टैहकू, जात राजपूत, निवासी नागदयाड़ा, इलाका नरोहल, तहसील जोगिन्द्रनगर।

बनाम

श्री टैहकू पुत्र भादरू, जाति राजपूत, निवासी नागदयाड़ा, इलाका नरोहल, तहसील जोगिन्द्रनगर।

विषय:—

तसदीक इंतकाल मकफूद-उल-खबरी श्री टैहकू सुपुत्र भादरू, वाक्या मुहाल नागदयाड़ा, हदबस्त नं0 284, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया है कि हरिया पुत्र टैहकू ने इन्तकाल हदबस्त नं0 284 मकफूद-उल-खबरी श्री टैहकू सुपुत्र भादरू, निवासी नागदयाड़ा बहक वारसान मकफूद-उल-खबरी उपरोक्त दर्ज बराये तसदीक कराया है। इस वाक्या की तसदीक बाबा किसी जनता को या स्वयं टैहकू सुपुत्र भादरू को कोई शिकायत हो तो वे दिनांक 21-3-89 को असालतन व वकालतन वाका हजा की पैरवी के लिए पटवार खाना हजा में हाजर होवें। बाद गुजरने मियाद इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी तसदीक कर दिया जायेगा और उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-2-1989 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। पी0 सी0 कपूर,
तहसीलदार व सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

व अदालत सब-रजिस्ट्रार, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

मिसल: वसीयत।
व मुकद्दमा:

चिन्तराम पुत्र सोहणु, निवासी कलस, ई0 अनन्तपुर।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी ने हमारे समक्ष प्रार्थना-पत्र बगर्ज तस्दीक व रजिस्टर किये जाने वसीयत जो कि मृतक सोहणु पुत्र सत्यागर, निवासी कलस, ई0 अनन्तपुर ने मिति 30-6-1987 को तहरीर करवाई है पेश किया। अतः आम जनता को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वसीयत के तस्दीक व रजिस्टर्ड होने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन हमारे समक्ष स्थान सरकाघाट में हाजिर हो कर दिनांक 9-3-89 समय 10 बजे प्रातः पेश करें अन्यथा कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से मिति 16-2-89 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-,
सब-रजिस्ट्रार,
सरकाघाट, जिला मण्डी।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।